असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

30 जुलाई, 2021

सप्तदश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 30 जुलाई, 2021 ई0
तृतीय सत्र — 08 श्रावण, 1943(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(व्यवधान)

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर काल

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक साथ 20 लोग खड़े होकर बोलेंगे तो आसन कैसे सुनेगा किसी की बात ? आप सभी लोग बैठ जाइये, बैठ जाइये, आप सभी के लिए कहा जा रहा है। महबूब जी, आप स्पेशल नहीं हैं, आप भी सदन के सदस्य हैं, बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

फिर आप और ज्यादा स्पेशल हैं क्या ? अब ललित जी, क्या विषय है ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय....

श्री महबूब आलम : महोदय, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ।

अध्यक्ष : अच्छा तो ललित जी, आप ही बैठ जाइये और उन्हीं को बोलने दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

जब ये उठ गये हैं तो आपको सुनना चाहिए ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं बोल देता हूं । महोदय, वर्ष 2018-19 का...

अध्यक्ष : आप दोनों पहले तय कीजिए कि पहले कौन बोलियेगा ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कटिहार में नगर-निगम के मेयर की और महोदय, वह दलित मेयर थे उनकी हत्या हो गई है । हम आसन से आग्रह करते हैं कि इसका संज्ञान ले ।

अध्यक्ष : महबूब जी, आप माइक से जरा हटकर बोलिये, इससे आपकी आवाज साफ आयेगी । हां, माइक से थोड़ा हटकर बोलिये, फिर माइक में सटिये नहीं ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, कटिहार नगर-निगम के मेयर जो एक दलित मेयर थे, उनकी हत्या कल शाम हो गई सैकड़ों लोगों के बीच में महोदय, और महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि इसका आसन संज्ञान ले और सरकार को निदेश दे और इस पर सरकार वक्तव्य दे।

अध्यक्ष : ठीक है, ट्रेजरी बेंच भी बैठे हुए हैं । हां, बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कल जो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट उजागर हुई है । महोदय, जो मजदूर से संबंधित है, मनरेगा की जो योजना है उसमें मात्र एक से तीन प्रतिशत लोगों को दिया गया है जबकि देश में बिहार सबसे ज्यादा श्रमिक राज्य में है लेकिन यहां जो अनियमितता हुई है वर्ष 2014 से 2019 के बीच में, यह लूट हुई है महोदय, और मजदूर का फर्जी लोगों ने भुगतान ले लिया है, मजदूर यहां उनको कोई भुगतान नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सी0ए0जी0 की रिपोर्ट जो सदन पटल पर रखी गयी है वह लोक लेखा समिति के विचाराधीन हो गई है । आप तो उसके चेयरमैन रह चुके हैं और आप ही के साथी चेयरमैन हैं, वे सारे विषयों को संज्ञान में, एक चीज मैं बता दूं कि आज शुक्रवार का दिन है, आज का दिन भक्ति-भाव का दिन है और सुन लीजिए और भक्ति-भाव किनका करना है जो आपको, हमको यहां भेजा है और उसके प्रति समर्पण का भाव और आज बात दें कि विधान सभा के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन हो गया है, विधान सभा के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन हो गया ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, बहुत गंभीर आरोप है ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब सुन लीजिए, सुनिये तो पहले जो ऐतिहासिक दिन बोल रहे हैं तो इतिहास में इंट्रेस्ट नहीं है आपको, आप सब ऐतिहासिक हो रहे हैं । आज जानकर आपको खुशी होगी कि विधान सभा के अंदर कि बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की, सरकार की सजगता, संवेदनशीलता और विपक्ष की जागरूकता का ही परिणाम है कि आज हमारे स्वास्थ्य विभाग का 100 परसेंट जवाब आया, ऊर्जा विभाग का 100 परसेंट जवाब आया, पर्यटन विभाग का 100 परसेंट जवाब आया है, आपदा प्रबंधन विभाग का 100 परसेंट जवाब आया है, विधि विभाग का 100 परसेंट जवाब आया है, योजना और विकास विभाग का भी 100 परसेंट जवाब आया है मतलब 155 में 155 का जवाब सभी विभाग ने 100 परसेंट जवाब दिया, इस बिहार विधान सभा में हम

जब से हैं और माननीय बिजेन्द्र बाबू अभिभावक हैं ये पहले से हैं लेकिन हम जब से हैं यह 100 परसेंट जवाब कभी नहीं आया था और सुन लीजिए अभी अल्पसूचित में भी ऊर्जा विभाग का 100 परसेंट, आपदा प्रबंधन का 100 परसेंट, योजना विकास का भी 100 परसेंट और स्वास्थ्य विभाग में भी 100 परसेंट, एक तरह से एक स्थानांतरित हुआ है वह भी 100 परसेंट । यह ऐतिहासिक क्षण में एक बार आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं यह इतिहास रचने के लिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आज धाार्मिक दिन है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इतनी बढ़िया बात है, अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न हैं । श्री सुधाकर सिंह ।

(व्यवधान जारी)

आप बैठ जाइये । अब इसके बाद होगा ।

<u>प्रश्नोत्तर काल</u>

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-12 (श्री सुधाकर सिंह, क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)</u>

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है । स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : मंजिल जी बैठ जाइए, सतीश जी बैठ जाइए, इनका जवाब होने दीजिए, बिना अनुमति के कोई बात कार्यवाही में नहीं जाएगी ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, आपने कहा कि आज का दिन धार्मिक दिन है और पूजा-पाठ का दिन है...

अध्यक्ष : बैठ जाइए । सुधाकर जी, पूरक पूछिए ।

श्री सुधाकर सिंह : स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर हुआ है क्या ?

अध्यक्ष : संत, सनातन सभी आदरणीय हैं, सभी धर्म आदरणीय हैं, बैठ जाइए ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर हुआ है ।

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय जी, बिहार सरकार की अपर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था की सुविधा के चलते सीमावर्ती जिले के कोविड-19 प्रभावित रोगी...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, पूरक ।

श्री सुधाकर सिंह : पूरक ही है सर । बिहार सरकार की अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा के चलते सीमावर्ती जिले के कोविड-19 प्रभावित रोगी बगल के प्रदेशों में ईलाजरत्त लोगों का क्या गुनाह है कि उनको चार लाख मुआवजा राशि से क्यों वंचित कर दिया जा रहा है।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : वो तो स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित किया गया है, स्वास्थ्य विभाग जवाब देगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मंत्री जी जवाब दे देते तो अच्छा होता...

अध्यक्ष : आप वरिष्ठ लोग हैं, एकाएक स्थानांतरित हुआ, कहिए कि जवाब दे दीजिए, ऐसा होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी अगर तैयार हैं तो जवाब दे दें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, अभी जानकारी मिली है मैं माननीय सदस्य को जवाब उपलब्ध करवा दूंगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-13 (श्री समीर कुमार महासेठ, क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, दिव्यांगों का मामला है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके सामने अग्रिम चेक से संबंधित मामला प्रस्तुत किया गया था या नहीं, दूसरा भी प्रश्न कर लेते हैं, महोदय ।

अध्यक्ष : कर ही लीजिए आप, पूरक फिर मत पूछिएगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर तो स्पष्ट रूप से दे दिया गया है अब इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : कहां आया है सर, नहीं आया सर, माने हम नहीं कहना चाहते हैं...

अध्यक्ष : ऑनलाईन उत्तर भेजा गया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : नहीं आया है सर, नहीं आया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दीजिए । आप ऑनलाईन नहीं देखे हैं तो बोलिए, इसमें हिचकिचाइए मत । माननीय मंत्री जी पढ़ दीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, दिव्यांगों का मामला है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : स्वीकारात्मक । योजना एवं विकास विभाग के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्रियों के क्रय एवं अधिप्राप्ति हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-1688 दिनांक- 04 अप्रैल, 2018 द्वारा उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में क्रय समिति गठित है । तदनुसार किसी भी प्रकार के क्रय की कार्रवाई क्रय समिति के अनुमोदन के उपरांत ही किये जाने का प्रावधान है । उप आयुक्त की अध्यक्षता में

गठित क्रय समिति द्वारा निविदा में घोषित सफल निविदादाता को सामग्रियों की आपूर्ति के उपरांत बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाती है । जो समिति है वह टेंडर करती है और टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब माल सप्लाई कर देता है तब उसका भुगतान होता है, माल सप्लाई होने से पहले भुगतान की कोई परंपरा, एडवांस देने की कोई प्रक्रिया नहीं है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सर, आपका संरक्षण चाहिए, दिव्यांगों का मामला है...

अध्यक्ष : पूरा संरक्षण है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सर, तीन साल से लगातार, यह भारत सरकार का उपक्रम है, हमारा कहना है कि दिव्यांगों को जो माल सप्लाई करता है वह भारत सरकार का उपक्रम है और इसका नाम है उपक्रम Artifical Limbs Manufacturing Corporation of India और वह नहीं देता है चूंकि उसका रूल है भारत सरकार की आप हमको चेक से देंगे तभी सप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर एक छोटा-सा आग्रह था कि महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि के गाइडलाईन में सरकारी संस्था को अग्रिम भुगतान देने का प्रावधान करना चाहते हैं या नहीं, जो कंप्लीट भारत सरकार का उपक्रम है, उसमें देने में क्या दिक्कत है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : किस ऑर्गेनाईजेशन का क्या अपना मापदंड है वह अपनी जगह पर है, बिहार के वित्तीय नियम के अनुसार एडवांस देने की कोई प्रक्रिया नहीं है जब तक वे सप्लाई पूर्णत: दे नहीं देंगे या पार्सियल भी देंगे तो वह प्रक्रिया जारी रहेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब हो गया, इतना साफ जवाब है...

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, गतिरोध कैसे समाप्त होगा ।

अध्यक्ष : अब हो गया । श्री रित लाल राय ।

टर्न-2/यानपति-अंजली/30.07.2021

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-14. (श्री रित लाल राय, क्षेत्र सं0-186 दानापुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है । राज्य के सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है । इसके आलोक में प्रथम चरण में शहरी क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जा चुका है, वर्तमान में दानापुर में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जा रहे हैं ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वर्तमान में उपभोक्ता के मीटर का बैलेंस जब उसके सात दिन के औसत खपत से कम रह जाता है तो उपभोक्ता को SMS एवं App के माध्यम से रिचार्ज हेतु सूचित किया जाता है। इसके उपरांत भी यदि उपभोक्ता द्वारा रिचार्ज नहीं किया जाता है तो शून्य से कम बैलेंस होने पर उपभोक्ता को रिचार्ज हेतु लगातार दो दिन सूचित किया जाता है एवं उपभोक्ता द्वारा इसके उपरांत भी रिचार्ज नहीं किया जाता है तो अगले दिन अर्थात लगातार शून्य से कम बैलेंस रहने पर तीसरे दिन (अगर कार्य दिवस हुआ तो) उपभोक्ता की बिजली पूर्वाह्न 10.00 बजे से 1.00 बजे के बीच स्वतः कट जाती है । मीटर से बिजली कटने की सूचना भी उपभोक्ता को App/SMSके माध्यम से दी जाती है ।

मीटर से बिजली कटने के उपरांत उपभोक्ता द्वारा रिचार्ज करने के उपरांत स्वतः जुड़ जाती है । कुछ मामलों में जहां पर उस समय Mobile Network पर्याप्त नहीं रहता है, जिसके कारण कुछ देरी हो सकती है, जिसे वितरण कम्पनी के प्रतिनिधि को भेजकर मीटर से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है ।

मीटर से बिजली कटने एवं जुड़ने की सूचना SMS एवं App के माध्यम से सूचित की जाती है ।

वर्तमान में राज्य में लगने वाले स्मार्ट मीटर भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मापदंडों IS15959, IS16444, IS13779 के नवीनतम संशोधन केक अनुरूप बनाए गए हैं । स्मार्ट मीटर के निर्माण होने के उपरांत प्रत्येक बैच के कुछ मीटरों को भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित Testing प्रक्रिया के तहत NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) एवं Bureau of Indian Standards द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टेस्ट कराए जाते हैं, सफल जांच प्रतिवेदन के उपरांत ही मीटरों को संबंधित उपभोक्ता के परिसर में लगाया जाता है । अतः यह कहना कि मीटर तेज चलता है सही नहीं है ।

श्री रित लाल रायः महोदय, एक बात अत्यावश्यक है जो हम पहले आपके माध्यम से कहना चाहते हैं ।

अध्यक्षः आप पूरक प्रश्न पहले पूछिए न ?

श्री रित लाल रायः महोदय, पहले हम बोल लेते हैं, उसके बाद पूरक पूछेंगे ।

अध्यक्षः नहीं, पहले पूरक प्रश्न पूछिए, लास्ट में कुछ कहना है तो बोलिए ।

श्री रित लाल रायः जी, पूछता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग । उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिए न ?

श्री रित लाल राय: जी, पूरक पूछता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपके माध्यम से एक सूचना मैं देना चाहता हूं । अभी-अभी सूचना मिली है दानापुर दियारा क्षेत्र से कि अकीलपुर थाना है उसमें तीन पंचायत आता है, 13 गांव आता है, सारी सुख-सुविधा जो सरकार के माध्यम से मिलता है वह 3 से 4 कि0मी0 के अंतराल में मिलता है लेकिन पुलिसिया कार्रवाई है, न्यायालय कार्रवाई है 40 से 45 कि0मी0 में वह सुख-सुविधा मिलती है इसलिए काफी लोग परेशान हैं । इसलिए हम आग्रह करेंगे, आपके माध्यम से सरकार से कि अविलंब दानापुर दियारा जो पटना जिला से संबंधित है, उसके कार्य को किया जाय ।

अध्यक्ष: आपका प्रश्न ऊर्जा विभाग से है आप कहां पंचायत और थाना में पहुंच गए ?

श्री रित लाल राय: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया है कि एक सूचना है उसको पहले हम पढ़ेंगे ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिए न आप ?

श्री रित लाल राय: अब हम पूरक पूछ रहे हैं ।

श्री रित लाल राय: अध्यक्ष महोदय, सामूहिक लोग आत्मदाह करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष: आप उस आत्मदाह में पूरक नहीं हैं न उसको रोकिए, आप विधायक हैं । पूरक पूछिए ।

श्री रित लाल राय: अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात को सरकार के पास रखेंगे न ? इसमें कहा गया है सरकार की तरफ से कि जो रिचार्ज होता है और हमारा प्रश्न है कि रिचार्ज जब होता है, तो बिजली उपलब्ध कराने में काफी देर होता है एक दिन के बजाय दो दिन भी लग जाता है लेकिन इस प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया है लेकिन यहां पर भी आया है जवाब में कि अगर जो ऐसा होता है तो बिजली मिस्त्री को भेजकर के उसको ठीक कराया जाता है तो स्वीकार भी, अस्वीकार भी यह कैसा मामला है सर । अगर जो अस्वीकार नहीं है, यह कठिनाई नहीं है जनता को, तो फिर बिजली मिस्त्री को भेजकर के ठीक कैसे कराया जाता है । दूसरा, मामला है कि स्मार्ट मीटर जो लग रहा है पोस्ट-पेड को हटाकर प्री-पेड, तो उसमें अब करोड़ों रुपया तो पहले खर्च हो चुका था लेकिन खैर कोई बात नहीं है लेकिन मीटर इतना तेज चलता है कि अनेकों लोग इससे प्रभावित हैं जिसका आज पेपर में भी आ रहा है, हम तो कह ही रहे हैं लेकिन पेपर में भी इसकी सूचना आ रही है । इसका नंबर जो है 1912 पर कॉल करने से स्मार्ट मीटर पर कोई उसका संज्ञान नहीं लेता है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका पूरक क्या है कि मीटर ज्यादा चलता है, फॉल्स चलता है ।

श्री रित लाल रायः अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक यह है कि अब मीटर ज्यादा चलता है और समय से ज्यादा टाइम लगता है बिजली उपलब्ध कराने में और रिचार्ज कराने के बाद भी ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी । मीटर ज्यादा चलता है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, अभी भारत सरकार ने 3 लाख, 3 हजार करोड़ का जो पैकेज दिया है पूरे देश में, अब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है ।

अध्यक्षः माइक पर बोलिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, बिहार इस मामले में अग्रणी राज्य के रूप में भूमिका निभा रहा है । फ्रांस की कंपनी के द्वारा हमलोग अगले तीन साल में सभी जगह उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगा देंगे, जिन बातों की शिकायत वे कर रहे हैं उसके सारे नियम प्रक्रिया उसमें है कि 24 घंटा पहले सूचना ली जाएगी, 24 घंटा और भी समय लिया जाएगा लेकिन मोबाइल में जब प्री-पेड मीटर ठीक-ठाक काम कर रहा है तो बिजली में क्यों नहीं काम किया जाएगा इसलिए इसमें कोई कंन्फ्यूजन नहीं है, ये अनावश्यक चीजों का सब अफवाह है ।

श्री रित लाल रायः अध्यक्ष महोदय, इसकी बड़े पैमाने पर शिकायत भी आ रही है ।

अध्यक्षः आप उसका डिटेल मंत्री जी को दे दीजिएगा वे दिखवा लेंगे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः नहीं, नहीं महोदय, अभी स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगा भी नहीं है पूरी तरह से और इनको व्यापक शिकायत आ रही है, यह मेरे समझ से परे की बात है ।

श्री रित लाल रायः अध्यक्ष महोदय, यहां पर उपलबध पेपर के माध्यम से हम जानकारी देना चाह रहे हैं ।

अध्यक्षः आप फिजिकल जाकर के जानकारी लेकर के इनको दे दीजिएगा ।

श्री रित लाल रायः हम दिखवाएं हैं अध्यक्ष महोदय, तब हम बात लेकर के आए और पेपर में भी बात आ रही है ।

अध्यक्षः ठीक है, लिखकर के दे दीजिएगा, मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे । श्री अजीत शर्मा जी ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-'क'-15. (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र सं0-156 भागलपुर)</u>

श्री अजीत शर्माः अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन मैंने तो देखा नहीं है लेकिन फिर भी मैं पूरक पूछता हूं, थोड़ा-बहुत अभी पता चला है ।

अध्यक्षः नहीं देखे हैं, तो पढ़ देते हैं मंत्री जी ।

श्री अजीत शर्माः नहीं, मैं पूरक पूछ देता हूं सर ।

अध्यक्षः बिना उत्तर देखे ही ?

श्री अजीत शर्माः महोदय, कुछ बताए हैं लोग अभी ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री अजीत शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछली बार और इस बार जो योजना एवं विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से क्रमशः 50 लाख एवं 2 करोड़ प्रति माननीय सदस्य की कटौती की गई तथा पिछली बार माननीय सदस्यों के वेतन मद से 15 प्रतिशत कटौती की गई, तीनों मिलाकर कुल कितनी राशि हुई और कोरोना उन्मूलन कोष में जमा हुई या नहीं हुई पहला पूरक । एक साथ सब पूरक बोल देते हैं सर ।

दूसरा, क्या मंत्री जी बताएंगे कि पिछली बार जो राशि 50 लाख एवं 15 प्रतिशत की कटौती की गई उसकी कुल राशि कितनी हुई और कहां-कहां किस विभाग द्वारा खर्च की गई और उसमें से कितनी राशि वेंटिलेटर क्रय एवं ऑक्सीजन प्लांट पर खर्च की गई ?

तीसरा, क्या मंत्री जी बताएंगे कि यदि काटी गई राशि ससमय खर्च कर दी जाती, तो सेकेंड फेज में इतने लोगों की मौत नहीं होती, ये तीनों पूरक का जवाब चाहिए महोदय ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, लगता है कि माननीय सदस्य तो उत्तर पढ़े नहीं हैं, माननीय सदस्य क्वेश्चन करने में बड़े बुद्धिमान हैं लेकिन पढ़ने में बुद्धिमान नहीं हैं, यही मुझको लग रहा है ।

श्री अजीत शर्माः महोदय, मैंने शुरू में ही कहा है कि मैंने नहीं पढ़ा है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, ये ठीक है, यह भागलपुर के पानी का असर है । फिर भी मैं उत्तर को पढ़ देता हूं ।

महोदय, खंड-1 उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-2 वस्तुस्थिति यह है कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत पूर्व से गठित बजट शीर्ष एवं उप शीर्ष में प्रावधानित राशि में से सरकार के संकल्प संख्या- 1281 दिनांक-27.03.2020 के अनुसार वर्ष 2020-21 में 50.00 लाख रुपये प्रति माननीय सदस्य, बिहार विधानमंडल की अनुमान्यता राशि में से कटौती की गई । तदनुसार वर्ष 2020-21 में कुल 182.14 करोड़ रुपये कोरोना उन्मूलन कोष, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित

एच0डी0एफ0सी0 बैंक, खाता संख्या-50100314857650, IFSC-HDFC0001649 में अंतरित की गई ।

इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में कुल 626.00 करोड़ रुपये राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता संख्या- PBBPLA011 में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से हस्तांतरित की गई है ।

खंड-3 उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, यानी माननीय सदस्य...

अध्यक्ष: अब अजीत शर्मा जी कोई पूरक नहीं पूछेंगे न ? अब ये उठ गए, तो आप क्या पूछियेगा ?

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, माननीय सदस्य का 2020-21 में 50 लाख, 2021-22 में 2 करोड़, ये आपका, ये माननीय मंत्री जी जवाब दिए, 1 करोड़ 82 लाख आपकी ये राशि 2020-21 में जमा किए हैं और 626 करोड़ 2021-22 में, हम माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये 50 लाख राशि जो 2020-21 में माननीय विधायक का काटा गया है, वह किस क्षेत्र में खर्चा किया गया है, किस क्षेत्र में क्षेत्रवार, थोड़ा माननीय मंत्री जी बता दें तो अच्छा होगा और 2021-22 का महोदय, अभी तक इन्होंने बताया है कि इनके राज्य स्वास्थ्य समिति में जमा है, तो जो जब जमा है तो विलंब का क्या कारण है महोदय, एक तरफ आप राशि कटौती करते हैं और ये राशि आप कटौती किए हैं, तो क्या माननीय क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में कुछ उनकी भी भागीदारी रहेगी बंटवारा में, उनका भी नाम रहेगा कि सरकार का ही केवल नाम रहेगा ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, मुझे हैरत हो रही है पांच बार से एम0एल0ए0 हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के चेयरमैन भी रहे हैं । योजना विभाग ने ट्रांसफर कर दिया है स्वास्थ्य विभाग को, मैंने उसका जिक्र किया, 182 करोड़, 1 करोड़ 82 लाख नहीं, 182 करोड़, इस बार जैसा मैंने कहा कि टोटल राशि है 626 करोड़, अभी यह कह रहे हैं 1 करोड़ 86 लाख तो खैर यह आपकी बात है.....

(व्यवधान)

लेकिन कुछ तो नियमावली को देखिए, जब तक हम खड़े हैं फिर भी फटाफट-फटाफट । महोदय...

...क्रमशः...

टर्न-3/सत्येन्द्र/30-07-21

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री:(क्रमश:) महोदय, स्वास्थ्य विभाग से न ये प्रश्न करेंगे कि यह राशि कहां कहां खर्च हुई है । दूसरी बात मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है, विधायक फंड नहीं लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना तो स्वास्थ्य विभाग से अपना प्रश्न करें कि राशि कहां खर्च हुआ,क्या हुआ, नहीं हुआ, ये योजना विभाग तो अपना काम कर के स्वास्थ्य विभाग को दे दिया ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, ये खुद विद्वान मंत्री हैं । लगता है 1990 में ये हुए हैं और 1995 से हमलोग हुए हैं ।

अध्यक्ष: अब बैठ जाईए ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, हमलोगों का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित श्री अजीत शर्मा जी का प्रश्न है, यदि योजना एवं विकास विभाग ने स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण कर दिया तो योजना विकास विभाग भी सरकार है तो सरकार को जवाब देने में क्या दिक्कत है, ये राशि क्षेत्रवार बतावें कि कहां-कहां खर्च हुई है ?

अध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न ले आईयेगा ।

श्री ललित कुमार यादव: नहीं महोदय, इसी प्रश्न में सन्निहित है, 50 लाख रू0 1920-21 में और 2021-22 में आपको 2 करोड़ राशि काटी गयी तो किस क्षेत्र में कहां खर्च हुआ माननीय मंत्री बतायें और यदि विलंब से खर्च हो रहा है तो इसका क्या कारण है महोदय, आप एक तरफ राशि की कटौती करते हैं, हाहाकार मचाते है, आप इतना तो बतलाईए कि किस क्षेत्र में आप कहां खर्च किये ?

अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठ जाईए । आपका प्रश्न है कटौती का औचित्य क्या है तो कटौती के औचित्य पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया । अब आप जानकारी चाहते हैं कि जो कटौती हुआ उसका कहां उपयोग है तो वह अलग से प्रश्न लाईयेगा । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, नियम यह है, हैरत है कि लोक लेखा समिति के चेयरमैन भी रहे हैं और वह बहुत संवैधानिक समिति है । टोटल बजट का एलोकेशन वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को बजट में जाता है तो क्या वित्त विभाग से प्रश्न पूछियेगा और वित्त विभाग दे देगा कि किस विभाग में कितना कहां खर्च हुआ। योजना विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना आता है, सुन तो लीजिये

और क्षेत्रीय विकास योजना का पैसा स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित कर दिया । अलग से माननीय सदस्य स्वास्थ्य विभाग से प्रश्न करें कहां खर्च हुआ, इतना जो काम हुआ वह बिना पैसे से हुआ, अलग से स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगे ।

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 452(श्रीमती शालिनी मिश्रा,क्षेत्र सं0- 15 केसरिया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: वस्तु स्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के केसरिया विधान सभा क्षेत्र में दिलावरपुर सहित 6 पंचायतों की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, मेहसी से की जाती हे । मेहसी से दिलावरपुर की दूरी लगभग 35 कि0मी0 है । मेहसी के सभी 11 के0वी0 फीडर का रिकंडक्टरिंग किया गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार हुआ है । राज्य योजना के तहत कल्याणपुर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत से 15 कि0मी0 की दूरी पर कोयला बेलवा (वृन्दावन) में 2X5 MVA का 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं मार्च 2022 तक चालू होने की संभावना है । नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण के उपरांत उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में वृद्धि होगी ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: उत्तर आया हुआ है महोदय, माननीय मंत्री जी से पूरक है कि उन्होंने दो खंड में जवाब दिया है, एक कहा है कि कंडकटरिंग कर ली गयी है, महेसी जो 35 कि0मी0 है दिलावरपुर से वहां तक कंडक्टरिंग कर ली गयी है तो विद्युत आपूर्त्ति में गुणात्मक सुधार हुआ है, मगर मैं कहना चाहती हूँ, वास्तविकता यह है कि सुधार बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत हुई है। जितना हमलोग तत्पर है सरकार उतनी नहीं हुई है । दूसरी बात है कि यहां पर जो दूसरे विद्युत सव स्टेशन की बात इन्होंने की है उसके ठीक बगल में 4 कि0मी0 में कल्याणपुर है..

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: मैं पूरक ही पूछ रही हूँ महोदय, पूरक पर ही आ रही हूँ 30 सेकेंड का समय दीजिये उसके लिए जरूरी है कहना, तो कल्याणपुर सब स्टेशन 4 कि0मी0 पर है, चार कि0मी0 में दूसरा सब स्टेशन बनाने का क्या औचित्य था कोयला डेलवा और कल्याणपुर 4 कि0मी0 की दूरी पर ही है तो उसका कोई औचित्य नहीं था महोदय, मैं

बताना चाहती हूँ कि अगर औचित्य है तो बतायें, माननीय मंत्री जी बतायें वह राजनीतिक कारणों से वह हुआ था ...

अध्यक्ष: अब आप पूरक के बजाय ये बोल रहे हैं, पूरक पूछिये नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: मेरा पूरक अभी है, दो पूरक और पूछना है मुझे ।

अध्यक्ष: श्री राकेश कुमार रौशन । अब आप बैठ जाईए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: अध्यक्ष महोदय,दो पूरक पूछने का कृपया समय दीजिये।

तारांकित प्रश्न संख्या-453(श्री राकेश कुमार रौशन,क्षेत्र संख्या-174,इस्लामपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

2-जिला पदाधिकारी ,नालंदा द्वारा दिनांक 15-01-20 के औचक निरीक्षण में प्राचार्य सहित कुछ कर्मी अनुपस्थित पाये गये जिनका वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, नालंदा के ज्ञापांक 1988/गो0दिनांक 24-03-20 के द्वारा अनुपस्थित कर्मियों का वेतन विमुक्त किया गया है ।

3- अस्वीकारात्मक है । ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं है ।

श्री राकेश कुमार रौशन: उत्तर दिया गया है ।

अध्यक्ष: देखिये, माननीय सदस्य आप सभी से आग्रह है कि जब 100 प्रतिशत उत्तर ऑनलाईन आ गया है तो ज्यादा से ज्यादा सदस्यों के जवाब पर पूरक हो और हम भूमिका बनाने में समय वर्बाद करेंगे तो यह कतई उचित नहीं है इसलिए डायरेक्ट पूरक और शौर्ट में बोलिये।

श्री राकेश कुमार रौशन: मेरा मूल प्रश्न था अध्यक्ष महोदय कि ए0एन0एम0 स्कूल ,इस्लामपुर में है वहां के प्राचार्य इस्लामपुर में नहीं रहती है । माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है वह प्राचार्या जो है इस्लामपुर में ही रहती है । आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर उन्होंने अस्वीकारात्मक के रूप में दिया है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस प्रवितेदन की चर्चा की है कि डी0एम0 साहब ने जांच किया था स्कूल का और उस प्रतिवेदन के आधार पर बाद में उसका जो वेतन था कर्मचारियों का वह रिलीज कर दिया गया है । हम समझते हैं उस प्रतिवेदन को इन्होंने पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, उस प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से है कि जितने भी वहां कर्मचारी और वहां पर शिक्षक पदस्थापित हैं सभी लोग अनुपस्थित थे, दूसरा महोदय मैं माननीय मंत्री जी को ये बतलाना चाहता हूँ कि प्राचार्या वहां नहीं

रहती है जिसके चलते एक बच्ची का वहां से अपहरण हुआ है और उस संबंध में एफ0आई0आर0 भी हुआ है, इस्लामपुर थाना कांड संख्या-318/21..

अध्यक्षः आप पूरक पूछिये । देखिये आप तो वकील हैं, डायरेक्ट शौर्ट में प्रश्न कर सकते हैं। आप तो एक मिनट से अधिक समय ले लिये।

श्री राकेश कुमार रौशनः वही बात कह रहे हैं कि ये जो एफ0आई0आर0 है, इसमें स्पष्ट रूप से लड़की का गार्जियन का आरोप है कि..

अध्यक्षः आप पूरक नहीं पूछ रहे हैं, फिर आगे बढ़ते है । श्री महबूब आलम।

श्री राकेश कुमार रौशनः वही तो बोल रहे हैं, वह रहती नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः हमने एक मिनट का समय दिया । बैठ जाईए ।

(व्यवधान)

ठीक है पूरक पूछिये, भूमिका मत बनाईए।

श्री राकेश कुमार रौशनः क्या माननीय मंत्री जी कार्रवाई करेंगे वैसे प्राचार्य पर जो इस्लामपुर में नहीं रहती है। एक और पूरक है मेरा महोदय जो वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है माननीय मंत्री जी ने कहा कि संज्ञान में नहीं है जबकि स्पष्ट रूप से उसी स्कूल के एक टीचर हैं वह...

अध्यक्षः पूरक पूछिये न ?

श्री राकेश कुमार रौशनः वही टीचर का आरोप है कि पैसा निकाल लिया गया है हमारे एकाउन्ट से तो क्या उस प्राचार्या पर कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्षः ठीक है, बैठ जाईए । माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्रीः महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं है । यदि माननीय सदस्य के द्वारा संज्ञान में लाया जायेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि प्राचार्या वहां नहीं रहती है और उनकी अनुपस्थिति के कारण बच्ची का एक बार अपहरण हुआ है, इतना गंभीर मामला है महोदय तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि वे प्रधानाचार्ज के मोबाईल का सी0डी0आर0 जांच करायेंगे कि कब कब रहती है, कब नहीं रहती है?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: जिस अपहरण बगैरह की घटना संबंधी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं वह प्रश्न में कहीं भी उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखा रहता तो हम पता कर के आते और हम सारी विषयों पर जानकारी प्राप्त करते ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, हमने कहा कि प्राचार्या अनुपस्थित रहती है ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: जिला पदाधिकारी ने अनुपस्थित कर्मियों के वेतन भुगतान का निर्देश दिया है, जिलाधिकारी का पत्र मेरे पास में है ।

अध्यक्ष: ललित जी, आप सीनियर सदस्य हैं, माननीय मंत्री जी बहुत सकारात्मक बोल रहे हैं कि आप लिखकर दे दीजिये, हम जांच करवा देंगे ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, प्राचार्या के मोबाईल का सी0डी0आर0 केवल जांच करवा दें।

अध्यक्ष: ठीक है, माननीय मंत्री जी आप दिखवा लीजिये इसको। ठीक है दिखवा लेंगे।

(व्यवधान)

कह तो रहे हैं कि दिखवा लेंगे।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 454(श्री महबूब आलम,क्षेत्र सं0- 65 बलरामपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: 1- स्वीकारात्मक हैं

2- वस्तुस्थिति यह है कि उप महाप्रबंधक(परि0)बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम द्वारा इस परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण रिस्क ऐंड कॉस्ट पर रिसाईंड करते हुए संवेदक मे0 बिरेन्द्र कुमार सिंह,कटिहार को पत्रांक 432 दिनांक 15-04-21 द्वारा तीन वर्षों के लिए कालीकृत कर दिया गया है।

3- वास्तविक कार्य की अंतिम मापी के पश्चात् निविदा आमंत्रित करते हुए इसे दो वर्षों के अन्तर्गत कार्य को पूर्ण कराया जायेगा।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री:जवाब तो दिये हुए हैं कोई पूरक हो तो पूछें ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिये। पढ़े हैं न जवाब, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ देंगे ।

श्री महबूब आलम: मैंने पढ़ लिया है महोदय ।

अध्यक्ष: तो पूरक पूछिये ?

श्री महबूब आलम: महोदय, मैं ये पूछता हूँ कि कोबिड महामारी के दौरान ये जो हाहाकार मचा हुआ है स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराती हुई हालत को देखकर, पांच साल से महोदय वह निर्माणाधीन है, एक चौथाई काम हुआ है और अभी ये जवाब देते हैं कि वास्तविक कार्य को अंतिम मापी के पश्चात् निविदा आमंत्रित करते हुए इसे दो वर्षों के

अन्तर्गत कार्य पूर्ण कराया जायेगा । अंतिम मापी महोदय, कब होगी और क्यों नहीं विशेष परिस्थिति में इसे एक साल के अन्दर पूरा करा लिया जाये।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्रीः महोदय, अंतिम मापी एक माह पूर्व हो गयी है और अब माननीय सदस्य की इच्छा है कि एक साल में हो तो एक साल में हो जायेगा।

श्री महबूब आलमः कबतक अंतिम मापी हो जायेगी महोदय ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : हो गया, एक महीना पहले करा दिया गया है ।

श्री महबूब आलमः तो एक साल के अन्दर आप इसको पूर्ण करवाना चाहते हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्रीः बोले तो एक साल में ।

टर्न-4/मधुप/30.07.2021

तारांकित प्रश्न सं0-455 (श्री देवेश कान्त सिंह,क्षेत्र संख्या-111 गोरियाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सिवान जिलान्तर्गत गोरेयाकोठी प्रखंड में कृषि फीडर का निर्माण कर दिनांक 22.01.2020 को ऊर्जान्वित कर दिया गया था परन्तु पिछले वर्ष बाढ़ के दौरान जल जमाव के कारण उक्त फीडर आंशिक रूप से बंद था, जिसे चालू किया गया है तथा वर्तमान में उक्त फीडर चालू अवस्था में है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है ।

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, जवाब मिल गया है । माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि उनके विभाग के लोग उनको और हम सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं ।

उनका जवाब है कि आंशिक रूप से जल-जमाव पिछले वर्ष बाढ़ के कारण, हमारे यहाँ गोरेयाकोठी में चन्दौली में सब-स्टेशन है जहाँ बाढ़ से कोई परेशानी नहीं हुई थी और आज तक फीडर चालू नहीं हुआ है और ये लोग कहते हैं कि पिछले वर्ष के बाढ़ की वजह से इस वर्ष काम आंशिक रूप से शुरू किया गया है ।

तो मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यही कहूँगा कि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें । हमलोगों को सही सूचना दें । बाकी अगर चालू हो गया है तो ठीक है, हमारे हिसाब से तो कल तक चालू था, अगर कल भी चालू करा दिया जाय तो उसके लिए हम उनको धन्यवाद करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, देखवा लीजिएगा इसको ।

तारांकित प्रश्न सं0-456 (श्रीमती बीमा भारती,क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं जवाब दिया है, कोई पूरक हो तो पूछ लें ।

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : जवाब तो दिया है, फिर से पढ़ देता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है । भावानीपुर प्रखण्ड के ग्राम-भिट्ठा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं है । यहाँ स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत है, जो भाड़े के मकान में संचालित है ।

रूपौली प्रखण्ड के विजय लालगंज के शांतिनगर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है । यहाँ स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत है, जो भाड़े के मकान में संचालित है ।

आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय फेज-2 के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है । अगले वित्तीय वर्ष में राशि एवं भूमि की उपलब्धता के अनुरूप चरणवार निर्माण कराया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-457 (श्रीमती प्रतिमा कुमारी,क्षेत्र सं0-127 राजापाकर(अ0जा0)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, 1 एवं 2- जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक के आश्रित को चेक सं0-912903 दिनांक-27.07.2021 द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि 4.00(चार) लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया है ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 458 (श्री अजय यादव,क्षेत्र सं0-233 अतरी)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5-5 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण की योजना स्वीकृत किया गया है, जहाँ पर सरकारी भूमि उपलब्ध है तथा विधान मंडल में दिये गये आश्वासन भी सम्मिलित हैं । इस आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजनाओं की सूची सरकार को उपलब्ध करायी गयी है ।

अध्यक्ष : श्री अजय यादव । उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री अजय यादव : महोदय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र निर्माण के लिए जो स्थल चयन करना था उसमें विधायक से परामर्श लेना था या नहीं लेना था ? जो पदाधिकारी लोग अपने मन से स्थल चयन करके जो दिये हैं, इसमें विधायक का भी तो परामर्श लेना चाहिए था कि कहाँ उप स्वास्थ्य केन्द्र बनना जरूरी है जनसंख्या के हिसाब से । लेकिन पदाधिकारी लोग एक बार भी विधायक से परामर्श नहीं लिये ।

तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी या नहीं की जायेगी ? विधायक लोगों से इसमें परामर्श लेना जरूरी था या नहीं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, जब भी कोई स्वास्थ्य उपकेन्द्र बनता है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनता है तो वह आबादी के आधार पर ही बनाया जाता है । ऐसा नहीं है कि स्वीकृति जब किसी स्वास्थ्य उपकेन्द्र की दी जाती है तो ऐसे ही दे दी जाती है कि यहाँ बना दिया जाय ।

इसलिये मैं माननीय सदस्य को पहले यह बताना चाहूँगा कि मन में यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि किसी भी जगह पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र बन जायेगा । जो स्वीकृत स्थल है और स्वीकृत जो होता है वह जनसंख्या और आसपास में जो स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं, उसके आधार पर होता है, नम्बर एक । नम्बर दो, हम सब लोगों ने यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया कि एक साथ राज्य के लगभग 1600 अस्पतालों के पुनर्निर्माण का कार्य या सी0एच0सी0 जो बनाना है उसका कार्य हमलोग करेंगे और उसकी निविदा प्रकाशित हुई है ।

यह जो स्थल चयन है, मैंने कहा कि पूर्व से स्वीकृत है, कोई नया स्वीकृत किया गया है, ऐसा नहीं है । पूर्व से स्वीकृत जो स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं, वहीं पर यह बनेगा। पूर्व से स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहीं बनेगा । मैंने अपने जवाब में लिखा है कि इसी सदन में सरकार की तरफ से पूर्व में आश्वासन दिये गये हैं कि किन जगहों पर, जैसे कोई प्रश्न आता है कि हमारे स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थिति खराब है, हमारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति खराब है तो सरकार की तरफ से पूर्व के वर्षों में इस सदन के अंदर यह आश्वासन दिया गया है कि हाँ वहाँ पर बनाया जायेगा और वह आश्वासन तब दिया जाता है जब वहाँ पर सरकारी भूमि उपलब्ध होती है । चूंकि हम निविदा कर दें, जमीन का कोई डिस्प्यूट हो तो पता

लगेगा कि हमारा कार्यक्रम तो बना, योजना बनी लेकिन जमीन पर नहीं उतरा । इसलिए जहॉ सरकारी भूमि उपलब्ध है, पूर्व से सदन में इस संदर्भ में सरकार का आश्वासन दिया गया है, इन सारे विषयों पर सम्यक विचारोपरांत हम उन स्थानों का चयन कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इनका जो प्रश्न है जिसमें इन्होंने दिया है कि पत्रांक/दिनांक के आलोक में जिला पदाधिकारी के पत्रांक/दिनांक द्वारा आदेश निर्गत किया गया है जिसमें माननीय विधायक का परामर्श लेना भी सुनिश्चित किया गया है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : ऐसा कोई पत्र इस आदेश के साथ जारी नहीं है । ऐसे मैं बताऊं... (व्यवधान) एक मिनट, मेरी बात हो जाने दीजिए ।

ऐसे यह जो कार्य हो रहा है जनहित में हो रहा है । जनता की सेवा के लिए हो रहा है । सुदूर गॉव तक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए हो रहा है । (व्यवधान) सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए । इस बीच में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों को निर्देश मिला कि यह काम करना है, व्यक्तिगत रूप से भी सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो, मेरी कई विधायकों से बातचीत हुई है, मैंने व्यक्तिगत बातचीत में भी आग्रह किया है कि सदन के अंदर पूर्व से आश्वासन दिया हुआ है, सरकारी भूमि की उपलब्धता की भी जानकारी ली जा रही है । फिर भी, आपके पास भी कोई सुझाव हो तो आप भी सुझाव दीजिए, हम उसपर भी सरकारी जमीन होगा तो उसपर भी विचार करेंगे । क्या सत्यदेव बाबू, आपसे भी पूछे हैं न । तो ऐसा मैंने लोगों से पूछा है ।

इसके अतिरिक्त भी कई जिलों के जिलाधिकारियों ने माननीय सदस्यों से इस संबंध में बातचीत किया है, कोई निर्देश नहीं था । (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए । मैंने तो स्वयं कई लोगों से बातचीत किया है । मैंने स्वयं इस सदन के कई लोगों से बातचीत किया है, इसके बाद भी यदि..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिए । ध्यान से सुनिए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । इसके बाद भी यदि माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र के अनुसार आवश्यक स्थान कोई लगता है, वह सुझाव आप हमको दे सकते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, लगता है कि माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है, चाहे हमलोग नहीं समझ रहे हैं या हमलोगों के प्रश्न को माननीय मंत्री जी नहीं समझ रहे हैं । एक सुझाव इसमें है कि माननीय विधायक से भी, यदि पुराने बिल्डिंग को स्वास्थ्य उपकेन्द्र

का ये बना रहे हैं, यदि 50 हैं तो 5 ही को चयन करना है, हो सकता है कि किस दृष्टिकोण से कौन उपयोगी है, माननीय विधायक तो क्षेत्रीय होते हैं अनुभवी होते हैं । सरकार को इसमें राय लेने में क्या दिक्कत है ? दूसरी बात, हमलोगों को लग रहा है महोदय, पुराने स्वास्थ्य उपकेन्द्र की बात कर रहे हैं कि 5-5 प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नया खोल रहे हैं ? हमको लगता है कि यहाँ भी कोई अंतर है । अभी भी कह रहे हैं कि परामर्श दीजिए तो उसको बदल देंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, 17 जून को गया के जिलाधिकारी के द्वारा यह पत्र सभी माननीय विधायक को दिया गया है, वाट्सऐप पर भी भेजा गया यह कहते हुए कि सभी स्थानीय विधायक वैसे अस्पताल जो आपके विधान सभा क्षेत्र में जर्जर हो, वैसे अस्पताल जहाँ पर सरकारी जमीन उपलब्ध हो जहाँ पर आप बनाना चाहते हैं तो सभी स्थानीय विधायक एक पत्र लिखकर जिला को समर्पित करें । महोदय, उसके आधार पर हमलोगों ने वहाँ के प्रखंडों के सी0ओ0 से जाँच कराया कि यह जर्जर है, इसको बनाने का हमलोगों ने अनुशंसा किया । साथ-साथ, कुछ सी0ओ0 ने ऐसे जगह पर जमीन आइडेंटिफाई किया जहाँ पर आबादी शून्य थी । उसके बाद हमलोगों ने जिलाधिकारी को कहा कि यह गलत तरीके से जमीन दिया जा रहा है । वैसे जगह पर बनाया जाय जो सुदूर इलाका है ।

अध्यक्ष : पत्र दिया गया है । माननीय मंत्री जी पत्र की जाँच करवा लेंगे ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : नहीं-नहीं महोदय, मैं फिर एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । नये स्थल पर नहीं बनना है, जो पूर्व से स्वीकृत है जहाँ पर भवन की आवश्यकता है वहीं पर बनना है और जब मैंने अभी अपने जवाब में कहा कि कई जिलाधिकारियों ने बातचीत किया है तो उधर से आवाज आई 'ना' और माननीय सदस्य स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनको पत्र तक लिखा है जिलाधिकारी ने। वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं ।

मैं फिर भी, उसके बाद भी आगे बढ़कर कह रहा हूँ और सदन में जो आश्वासन सरकार ने दिया है उससे हम वापस नहीं हो सकते हैं, पूर्व के जो आश्वासन दिये गये हैं उनका ध्यान हमको रखना पड़ेगा । उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि फिर भी यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमको दीजिए, आमंत्रित मैं करता हूँ ।

टर्न-5/आजाद/30.07.2021

अध्यक्ष : ठीक है । अब सरकार का इतना स्पष्ट जवाब आ गया ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, पूरे राज्य के जिला पदाधिकारी ने सभी माननीय सदस्यों से अनुशंसा की मांग की थी .....

अध्यक्ष : अब आपके पूरक से लोग आगे बढ़ गये, अब आप बैठ जाइए ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, पूरे राज्य के जिला पदाधिकारी ने सभी माननीय सदस्यों से चार स्वास्थ्य केन्द्र और 1 बड़ा पी0एच0सी0 बनाने के लिए अनुशंसा की मांग की, सभी माननीय सदस्यों ने अनुशंसा करके भेजा है और महोदय, निर्णय हुआ है और एक भी माननीय सदस्य के अनुशंसा को लागू नहीं किया गया ....

अध्यक्ष : चलिए, यह अलग विषय है, अब हो गया ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, आखिर किस आधार पर ....

अध्यक्ष : जिस पत्र का उल्लेख है, उसमें माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : अब आपका क्या है ?

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी बिन्दु पर आ रहे हैं । प्राथमिक विद्यालय या उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पंचायत से बी0डी0सी0 को भेजा जाता है । बी0डी0सी0 आपको जिला को भेजता है और कहीं से भी अभी तक माननीय विधायकों के लिए प्रावधान नहीं किया है । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सीधे .....

अध्यक्ष : आप तो मिलकर भी जान लेते न ।

श्री जनक सिंह : नहीं, नहीं । महोदय, इसमें माननीय विधायकों से परामर्श का कहीं व्यवस्था नहीं है । सीधे पंचायत भेजता है बी0डी0सी0 को और बी0डी0सी0 जिला को भेजता है .....

अध्यक्ष : अब बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी, इसको देख लेंगे । माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-459 (श्री चन्द्र शेखर,क्षेत्र सं0-73,मधेपुरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

प्रश्नगत पत्र में अंकित असमायोजित राशि रू0 52,69,170/- (बावन लाख उनहत्तर हजार एक सौ सत्तर रूपये) में अपूर्ण कार्य एवं नहीं कराये गये कार्य की पूर्ण राशि सम्मिलित है । जबकि वसूलनीय राशि मात्र कुल राशि रू0 18,03,417/-(अठारह

लाख तीन हजार चार सौ सत्रह रूपये) है । वर्तमान दर पर यह वसूलनीय राशि मात्र रू0 22,61,800/-(बाईस लाख एकसठ हजार आठ सौ रूपये) है । इस राशि में अपूर्ण कार्य के अवशेष भाग को पूर्ण कराने हेतु संभावित व्यय की राशि एवं नहीं कराये गये कार्य के विरूद्ध वसूलनीय राशि समिमलित है । वसूलनीय राशि की वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है । वसूली की राशि कार्यादेश के अनुसार घट-बढ़ सकती है ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

कुल क्रियान्वित 69 योजनाओं में 01 योजना अन्य विभाग द्वारा पूर्ण करा लिया गया है । शेष मात्र 05 योजना ही आंशिक रूप से अपूर्ण है ।

3. कुल वसूलनीय राशि 22,61,800/-(बाईस लाख एकसठ हजार आठ सौ) रूपये की वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है । वसूली होते ही कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा ।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि वसूलनीय राशि वसूल कर अपूर्ण कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे । मेरा पूरक है कि कब तक करा दिये जायेंगे, समय सीमा निर्धारित करें और दूसरा मेरे प्रश्न का पार्ट है कि 6 साल से स्वेच्छाचारी अधिकारी रूपया लेकर फरार हो गया तो उनपर कौन सी कार्रवाई करेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने कहा है, माननीय सदस्य ने प्रश्न में लिखा है - 16.03.2021 के द्वारा विभाग को वर्ष 2014-15 में मधेपुरा विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता से 52,69,710/-रू0 असमायोजित राशि वसूलने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, यानी 16.03.2021 को तो पत्र मिला है तो कार्रवाई की जा रही है, 3-4 महीने में इस कार्रवाई को पूर्ण कर लिया जायेगा।

अध्यक्ष : आपका दो पूरक प्रश्न हो गया है, एक पूछिए ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मेरा एक पूरक और है कि ऐसे स्वेच्छाधिकारी जो सुशासन का लाभ लेकर के सदा के लिए राशि लेकर गायब हो जाते हैं तो उनपर कार्रवाई किस तरह का करेंगे और कब तक करेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सवाल है कि 5 साल तक अगर फरार हो गया विधायक योजना की राशि लेकर तो पहले प्रश्न क्यों नहीं किये, मैंने कहा कि तीन-चार महीने में कार्रवाई कर दी जायेगी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह घोर आपत्ति है, जो माननीय मंत्री का जवाब है .....

अध्यक्ष : ललित जी, चन्द्र शेखर जी अभी पूछ रहे हैं, आप सब में उठ जाइयेगा तो कैसे होगा?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, विद्वान मंत्री हैं और मैं इन्हीं को सहयोग करने के लिए उठा हूँ। महोदय, बहुत ही विद्वान मंत्री हैं और सरकार कह रही है कि 5 साल पहले गबन हुआ है और मंत्री जी कह रहे हैं कि आप एक महीना पहले पत्र दिये, यह प्रश्न क्यों नहीं किये, यह सरकार क्या कर रही थी 5 साल महोदय । सरकार किस चीज के लिए होती है, गबन करने के लिए होती है ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, ...

अध्यक्ष : अब कहां से पूछियेगा, जब ये उठ गये तो आप नहीं पूछियेगा । अब आपके प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक पूछ लिये तो अब आप कैसे पूछियेगा ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमलोग सदन में यही उत्तर सुनने के लिए बैठे हुए हैं । महोदय, आप संरक्षण नहीं दीजियेगा, इस तरह का जवाब सुनने के लिए हम सदन में नहीं बैठेंगे ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मेरा तीन पूरक है, मैं दो ही पूरक पूछा हूँ ।

अध्यक्ष : ये पूछ लिये, इसलिए अब आपका समाप्त हो गया । नियम के हिसाब से अब आपका समाप्त हो गया । यह परम्परा उचित नहीं है । आप पूछ लिये तो फिर ये कैसे पूछेंगे ?

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीन-चार महीना में कार्रवाई करेंगे अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने का और उस अधिकारी पर कौन सी कार्रवाई कब तक करेंगे, हम यह जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : बता तो दिये कि हम कार्रवाई करेंगे ।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महादेय, कौन सी कार्रवाई करेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी, वह की जायेगी ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइए ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, अब कानून सम्मत कार्रवाई क्या है ?

अध्यक्ष : अब यहां कानून का क्लास होगा ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । 10-20हजार रू0 लेकर कोई फरार होता है तो वह चोरी की सजा में जेल जाता है और 6 साल से लाखों रू0 लेकर फरार है और पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो, यह तो शर्मसार करने वाली बात है ।

अध्यक्ष : कह दिये हैं कि कार्रवाई होगी । माननीय सदस्य श्री दामोदर रावत ।

तारांकित प्रश्न सं0-460(श्री दामोदर रावत, क्षेत्र सं0-242, झाझा)

(लिखित उत्तर)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : 1. जिला पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त प्रतिवदेन के अनुसार खैरा प्रखंड के कागेसर गांव में पुराना मंदिर है, जहां श्रद्धालुगण आते हैं ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक ।

3. पर्यटन विभाग द्वारा जमुई जिलान्तर्गत खैरा प्रखंड में अवस्थित गिद्धेश्वर शिव मंदिर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में 59,14,790/-(उनसठा लाख चौदह हजार सात सौ नब्बे) रूपये मात्र की योजना स्वीकृत की गई है । जिसके अन्तर्गत पेयजल, मंडप, यात्री शेड, जन सुविधाएं, मंदिर परिसर का विकास, गेट-वे, प्रकाश व्यवस्था, स्थल विकास, पार्किंग आदि कार्य कराया गया है ।

पुनः विभागीय पत्रांक-1137, दिनांक 19.07.2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई से उक्त स्थल के विकास के संबंध में संबंधित भू-धारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ प्रस्तावित योजना के रख-रखाव आदि बिन्दुओं पर विहत प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है ।

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है, हमने कागेसर मंदिर के विकास की बात की थी अपने प्रश्न में और इन्होंने जवाब दिया है कि गिद्धेश्वर मंदिर का तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कागेश्वर मंदिर का रिपोर्ट लेकर के जिलाधिकारी से कागेसर मंदिर का विकास कब तक करेंगे ?

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी से .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसको देखवा लीजिए और इस तरह के गलत जवाब देने वाले से थोड़ा स्पष्टीकरण भी मांगिए ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : ठीक है सर ।

तारांकित प्रश्न सं0-461(श्री अरूण सिंह, क्षेत्र सं0-213 काराकाट)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. अस्वीकारात्मक है ।

संझौली पी0एस0एस0 की कुल क्षमता वर्तमान में 8.15(5+3.15) एम0वी0ए0 है तथा ऊर्जा की मांग लगभग 6 मेगावाट है जो कि वर्तमान क्षमता से दी

जा सकती है । वर्षा मौसम एवं थर्डरिंग के चलते ब्रेकडाऊन विद्युत बाधित होता है न कि पावर ट्रांसफार्मर के क्षमता के कारण ।

3. भविष्य में मांग बढ़ने की परिस्थिति में 3.15 एम0वी0ए0 पावर ट्रांसफार्मर से बदल दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, माननीय सदस्य अरूण जी, पूरक पूछिए ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, पहला खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है । दूसरा खंड में अस्वीकारात्मक मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं ।

मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ट्रांसफार्मर 5 एम0वी0ए0 का था तो उसके जगह 3 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया और दूसरे खंड में मैं पूछ रहा हूँ कि लोड शेडिंग की समस्या है और लॉ वोल्टेज की समस्या है लेकिन सरकार जवाब दे रही है कि मौसन के चलते ऐसा है, मैं कहना चाहता हूँ कि 4 महीना से ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है और बरसात दो महीना से है । वहां पर पहले से लोड शेडिंग की समस्या है, लॉ वोल्टेज की समस्या हे ...

अध्यक्ष : पूरक क्या है

श्री अरूण सिंह : महोदय, पूरक है कि ये चार महीना से ट्रांसफार्मर बदला गया है और मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, लोड शेडिंग और लॉ-वोल्टेज की समस्या है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहां पर ट्रांसफार्मर लगाया जाय 5 एम0वी0ए0 का ।

अध्यक्ष : आपका सुझाव है मंत्री जी ग्रहण कर लिये ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, बहुत गंभीर समस्या है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, 5 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगा दीजिए ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : महोदय, ट्रांसफार्मर अपग्रेड होना चाहिए, डिग्रेड कैसे हो गया । 5 एम0वी0ए0 के जगह 10 एम0वी0ए0 कीजिए .....

अध्यक्ष : सिद्धार्थ जी, इनका पूरक अभी खत्म नहीं हुआ है, आप बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी, ये आपसे ही सुनना चाहते हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, देखवा लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-462(श्री नरेन्द्र नारायण यादव, क्षेत्र सं0-70 आलमनगर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : 1. अस्वीकारात्मक है ।

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1997-98 से 2000 ई0 तक कोशी नदी कटाव से विस्थापित हुए 156 परिवार वर्तमान में रतवारा पंचायत

अन्तर्गत अलग-अलग जगहों पर बसे हुए हैं, जो कोशी नदी के मुख्य धारा से काफी दूर है ।

2. अस्वीकरात्मक ।

विस्थापित 156 परिवारों के घर तक वर्तमान में कोशी नदी का कटाव नहीं हो रहा है ।

3. उक्त 156 परिवारों को बसाने हेतु सतत् लीज क्रय नीति के तहत निजी भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव जिला को प्राप्त हुआ है । चिन्हित भूमि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निचले हिस्से का है, जो कि बसाने के लिए उपर्युक्त नहीं है । ऊँचे स्थलों के सरकारी अथवा निजी भूमि को चिन्हित कर विस्थापित परिवारों को अगले छः माह के अन्दर बसाने का लक्ष्य रखा गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : मैं माननीया डिप्टी सी0एम0 को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अन्दर विस्थापित परिवार को बसा दिया जायेगा। बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री कुमार शैलेन्द्र ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-463(श्री कुमार शैलेन्द्र,क्षेत्र सं0-152, बिहपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि नारायण प्रखंड अन्तर्गत नारायणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित किया जा चुका है, जो 30 शैय्या का है । नये भवन के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है तथा निविदा प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जवाब आ गया है और आदरणीय हम अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा 30 शैय्या वाला अस्पताल स्वीकृत हो गया और वह जल्द से जल्द बन जायेगा ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा । माननीय सदस्य श्री राम चन्द्र प्रसाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-464 (श्री राम चन्द्र प्रसाद, क्षेत्र सं0-84 हायाघाट)</u>

श्री राम चन्द्र प्रसाद : महोदय, उत्तर नहीं पढ़ सके हैं ।

अध्यक्ष : उत्तर तो आ गया है ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद : महोदय, नहीं पढ़ सके हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हायाघाट के निर्माण हेतु निविदा NIT No.-BMSICL/Infra/15/2021 दिनांक 09.07.2021 द्वारा आमंत्रित की गई है । इसका मतलब कि जो माननीय सदस्य ने अस्पताल बनाने हेतु आग्रह किया था उसको स्वीकृत करते हुए उसकी निविदा प्रकाशित कर दी गई है, मतलब कि वह अस्पताल शीघ्र बनेगा ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद : धन्यवाद सर ।

टर्न-6/ज्योति/30.07.21

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, ललित जी हंस रहे थे, हमने कहा कि जब सरकार काम करे तो धन्यवाद करके उसको उत्साहित करिये ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों के काम का निपटारा अपने जवाब के पूर्व ही कर दे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0- 465 श्रीमती बीमा भारती (क्षे.सं.-60 रुपौली)</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जवाब दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जवाब नहीं देखी हैं एक बार पढ़ दीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है । 132/33 जी.एस.एस. चिकनी धमदाहा से मीरगंज पी.एस.एस. जुड़ा हुआ है । मीरगंज पी.एस.एस. से दरगाह पी. एस.एस. होकर भिट्ठा पी.एस.एस. को विद्युत आपूर्ति की जाती है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- 33/11 के.भी. शवित उपकेन्द्र, डबरु टोला , बोसा, तरासी से नवनिर्मित 37 के0भी0 आउट गोईंग भिट्ठा फीडर के द्वारा 33/11 के.वी. शक्ति उप केन्द्र भिट्ठा को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है । इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 15 अगस्त, 2021 है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 466 श्री हरि नारायण सिंह (क्षे.सं.-177 हरनौत)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय फेज-2 के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है । अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के अनुरुप निर्माण कराया जायगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री हरि नारायण सिंह : मंत्री जी का जवाब संलग्न है । आत्मनिर्भर बिहार के तहत फेज-2 में योजना का निर्माण किया जा रहा है और अकैड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अति जर्जर है और इनका जवाब है कि अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के आधार पर इसको बना दिया जायेगा । हमारा कहना है कि योजना निर्माण के बाद कम से कम यह जवाब आना चाहिए और मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि अगले वित्तीय वर्ष में यह सुनिश्चित कर दें कि अकैड़ स्वास्थ्य उप केन्द्र का जीर्णोद्धार कर दिया जायेगा ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैंने जवाब भी ऐसा ही दिया है कि कर दिया जायेगा । लिखा है कि अनुरुप निर्माण कराया जायेगा ।

श्री हरि नारायण सिंह : महोदय, उत्तर है, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय फेज-2 के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है । अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के अनुरुप निर्माण कराया जायगा ।

राशि की उपलब्धता है न कि आपने सुनिश्चित किया है, हम माननीय मंत्री जी से यही चाहते हैं कि कम से कम अगले वित्तीय वर्ष में इसका जीर्णोद्धार करा दिया जाय ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : माननीय सदस्य की भावना जन कल्याण की है सरकार भी जन कल्याण करना चाहती है । माननीय सदस्य की जो भावना है ।....

अध्यक्ष : इसी वित्तीय वर्ष में करवा दीजिये ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 467 श्री रामप्रवेश राय(क्षे.सं.-100 बरौली)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है । वर्णित स्थल पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर उक्त स्थल को विकसित करने तथा पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा ।

श्री राम प्रवेश राय : अध्यक्ष जी, उत्तर सुन नहीं पाए ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है ।

श्री राम प्रवेश राय : अध्यक्ष जी, उत्तर प्राप्त नहीं है । उत्तर खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष : औन लाईन आया हुआ है, उत्तर निकालिये ।

श्री राम प्रवेश राय : पी.डी.एफ. नहीं खुल रहा है इसलिए एक बार पढ़वा दिया जाय ।

अध्यक्ष : पढ़ दीजिये माननीय मंत्री ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है । वर्णित स्थल पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर उक्त स्थल को विकसित करने तथा पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा ।

श्री राम प्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, भूमि उपलब्ध करा कर उसका विकास हो, सौंदर्यीकरण कराने का हमारा प्रश्न है । इसके संबंध में मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा कि क्या मंत्री जी सर्वे कराके आवश्यक कार्रवाई करके और इसका डी.पी.आर. बना करके अगर बिहार सरकार सक्षम नहीं है तो केन्द्र में प्रस्ताव भेजने का कष्ट करेंगे ?

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : सदस्य जी को मालूम होना चाहिए कि भूमि की जॉच हमलोग नहीं करा सकते हैं । राजस्व मंत्री जी उसपर जॉच कराके अधिग्रहण करने का काम करेंगे तब जाकर वहॉ पर्यटकीय सुविधा देने का काम होगा तो हमलोग करेंगे ।

श्री राम प्रवेश राय : महोदय, क्या नहीं कर सकती है सरकार ? हमने तो कहा कि पता करके ..

अध्यक्ष : थोड़ा सा माननीय मंत्री जी आपको गंभीरता से इनके साथ बैठकर देख लीजियेगा ।

श्री राम प्रवेश राय : अध्यक्ष जी, उनसे कहवाईये । वहॉ भूमि है ही नहीं उसका डी.पी.आर. तैयार करके केन्द्र को भेजने का काम करेंगे मंत्री जी ?

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : भूमि उपलब्ध होने पर हमने कहा है कि सरकार उसके बाद काम करायेगी वहॉ पर्यटन के स्थल पर काम करायेगी ।

अध्यक्ष : रामप्रवेश जी मंत्री जी से मिल लीजियेगा ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : आप मंदिर बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं न बोलिए क्या बोलना चाहते हैं ?

श्री सत्यदेव राम : मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि राम प्रवेश राय जी भाजपा के मेम्बर हैं उनको इस काम को तेजी से करवा देना चाहिए ।

अध्यक्ष : वह मंदिर के लिए हैं तो आप उनके सहयोग में हैं न ?

श्री सत्यदेव राम : हम सदन में जनता के काम के लिए हैं ।

अध्यक्ष : चलिए, बैठ जाईये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 468 (श्री लखेंद्र कुमार रौशन,क्षे.सं.130 पातेपुर (अ.जा.)

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : हम नहीं देख पाए हैं ।

अध्यक्ष : आप नहीं खोल कर देखे हैं एक बार पढ़ दीजिये ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : पेमेंट हो चुका है । मृतक अभिराज कुमार के पिता श्री अभय सिंह को चेक संख्या 094166 27-7..

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : यह मेरा क्वेश्चन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास । आपलोग शोर कर रहे हैं इसलिए सुन नहीं पा रहे हैं इसलिए शांति से सुनिये । आपलोग शांत रहिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : स्पष्ट उत्तर है कि यह अस्थायी नियुक्ति थी । उनको सारा पैसा मिल गया है और 26.07.2016 द्वारा मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद उस पद को समाप्त कर दिया गया इसलिए अब पुनः बहाल करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : महोदय, केवल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वर्षों तक यह व्यक्ति बिहार को सेवा देकर सांख्यिकी स्वयंसेवक अपने जवानी को समाप्त कर लिया है उससे वर्षों सेवा लेने के उपरांत उसे उस पद से हटा दिया जाय क्या यह न्यायोचित है ? सरकार पुनः सेवा में लेगी ?

अध्यक्ष : चलिए , बैठ जाईये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 469 (श्री सिद्धार्थ सौरव, क्षे.सं. 191 बिक्रम)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : जिला पदाधिकारी, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार :-

1- मृतक अभिराज कुमार के पिता -श्री अभय सिंह को चेक सं0-094166 दिनॉक 27.07.2021,

2- मृतक संजय कुमार पिता -स्व0 रामप्रसाद सिंह की पत्नी श्रीमती विभा देवी को चेक सं0 -094167 दिनॉक 27.07.2021 तथा,

3-मृतक संजय कुमार पिता -स्व0 लाल बाबु राय के आश्रित पुत्र श्री रवि कुमार को चेक सं0 -746205 दिनॉक 26-07-2021 द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि 4.00-4.00(चार-चार) लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : महोदय, प्रश्न पूछने के बाद डेढ़ साल बाद इस मृतक को राशि उपलब्ध करायी गयी है । मैं पूरक पूछना चाहूंगा कि शेष जो लोग ऐसे मृतक के आश्रित हैं जो अभी बचे हुए हैं क्या उनका भी भुगतान करने के लिए मंत्री जी सुनिश्चित करेंगी ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके प्रश्न पूछने पर सरकार की सजगता से पैसा मिल गया एक बार धन्यवाद तो दीजिये ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : इसके लिए धन्यवाद देते हैं और शेष मृतक के आश्रित हैं क्या उनका भी भुगतान किया जायेगा ?

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : निश्चित रुप से जितने भी मृतक हैं पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री विकास कोष से जाता था और अब इधर आपदा से आकर फिर स्वास्थ्य विभाग को जायेगा जितने लोग हैं सब को पैसा मिलेगा ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : एक समय सीमा कर दिया जाय सरकार के माध्यम से ...

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अब शुरु होगा इसके बाद ही शुरु होगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 470 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ,क्षे.सं. 221 नवीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

औरंगाबाद जिलान्तर्गत नरवीनगर प्रखंड में कुडवा में स्थित विद्युत उप केन्द्र में स्थापित 5 एम.वी.ए. का पावर ट्रांसफार्मर मई 2021 में खराब हबुआ था लेकिन

इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को निर्वाघ आपूर्ति इसी उपकेन्द्र में स्थापित दूसरे 5 एम. वी.ए. से की जा रही है । चूँकि यह underloaded पावर ट्रांसफार्मर है ।

2–अस्वीकारात्मक है । कार्यरत एजेंसी मेसर्स बजाज कमे द्वारा उक्त ट्रांसफार्मर को जांचोपरान्त स्थापित किया गया था लेकिन कुछ दिनों बाद यह आंतरिक दोष के कारण खराब हो गया जो एक सामान्य प्रक्रिया है ।

कार्यरत एजेंसी मेसर्स बजाज कके द्वारा उक्त खराब पावर ट्रांसफार्मर की मरम्मती हेतु ले जाया गया और मरम्मती के उपरांत दिनॉक 22.07.2021 को उक्त उपकेन्द्र में पुनः स्थापित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, हमारे यहॉ 5 एम.भी.ए. ट्रांसफार्मर जल गया था। अभी वह लगा है । यह बड़ा विचित्र है कि नया ट्रांसफार्मर जलने के बाद 5 एम. भी.ए. ट्रांसफर जलने के बाद ढाई महीने के बाद बदला जाता है । हमको अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि नया ट्रांसफार्मर कुड़वा सब ग्रीड का हो या अभी परसों हमारे यहॉ बड़ेन ग्रीड का हो सब ट्रांसफार्मर जलते जा रहा है 5 एम.भी.ए. ट्रांसफार्मर जलते जा रहा है और मात्र एक एजेन्सी है बजाज जो लगा रही है ।..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । समय समाप्त हो रहा है ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : पूरक पूछ रहा हूं कि ये जितना घटिया सामान सप्लाई कर रहे हैं । लग रहा है और तुरत जल रहा है और ढाई ढाई महीने उसको रिपेयर के नाम पर हमलोग के क्षेत्र के किसान इसीतरह से भटक रहे हैं और इसका सामाधान कैसे होगा उसके बनने में ढाई ढाई महीने लग रहा है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कभी कभी टेक्नीकल फॉल्ट के चलते कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं तो उसको सजा दी जाती है फिर से उसको उसी पैसे में लगाना भी पड़ता है । यह होता है अक्सर ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब हो गया ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : एक पूरक और है और माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी घटना है जो हमारे ही यहॉ क्यों हो रही है ? दो दो सब स्टेशन का एक ही साथ ट्रांसफार्मर जल रहा है और एक ही एजेन्सी द्वारा सप्लाई की हुई है, यह तो एक तरह से शक पैदा करता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसको देखवा लेंगे ।

टर्न–7/अभिनीत–पुलकित/30.07.2021

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । एक आग्रह करेंगे कि अब शून्यकाल है और आज भी 63 शून्यकाल हैं । बिना आपके सहयोग से 63 पूरे नहीं होंगे । इसलिए कम शब्दों में आप उसको रखेंगे और दूसरी चीज यह कि ऑनलाईन जवाब जब 100 परसेंट जवाब आया है, जो माननीय सदस्य नहीं देख पाते हैं तो आप सभी के पी0ए0 को हमलोग बुलाकर यहां प्रशिक्षण करायेंगे ताकि सभी आनलाईन देख सकें ।

अब जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं ।

अध्यक्ष : अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि 100 परसेंट जवाब आ रहा है, लेकिन महोदय 99 परसेंट जवाब गलत आ रहे हैं ।

अध्यक्ष : नहीं, आप इस तरह से, आपके आगे में ही, अगल-बगल देखे हैं कि सब धन्यवाद दिए हैं । बैठिए, ऐसा मत बोलिए । विपक्ष हमेशा सकारात्मक भाव से अच्छे कार्यों की सराहना करता है । बैठ जाइये, माननीय सदस्यगण ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आपको अब क्या है ?

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : महोदय, अभी तीसरा मरीज हमलोगों के यहां बिहार में मिला है । इस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी । महोदय, रोहतास जिला के तिलौथु प्रखंड का रहने वाला यह बच्चा है और दस माह का बच्चा है । एक इंजेक्शन है 16 करोड़ रुपये का लगता है, जो अमेरिका से मंगाया जायेगा, इन्होंने जांच करायी है । यह बच्चा महोदय 10 माह का है और अगर इसे टीका छः माह के अंदर नहीं लगेगा तो यह बच्चा मर सकता है ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : महोदय, 16 करोड़ रुपये का इंजेक्शन है तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पर जरा ध्यान आकृष्ट करे, अयांश की इस बीमारी को दूर करने में सरकार सहयोग करे और मैं यहां सभी माननीय सदस्य जो बैठे हैं इनसे भी मैं अपील करूंगा कि ये अपने स्तर से भी कुछ आर्थिक सहयोग इस बच्चे को करें ।

अध्यक्ष : ठीक है, ध्यान में आ गया है । आप बैठ जाइये ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 30 जुलाई, 2021 के लिए माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । आज सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं जिसमें गैर सरकारी संकल्प लिए जायेंगे ।

अतएव, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47 (2) एवं 19 (ए) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, पढ़ने तो दिया जाय ।

अध्यक्ष : पढ़िए ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, राज्य में ध्वस्त हो चुकी विधि-व्यवस्था पर सदन में विमर्श हो ।

उल्लेखनीय है कि राज्य में विधि-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है । पुलिस बालू, अवैध शराब एवं ओवर लोडिंग से कमाई में लगी हुई है फलस्वरूप पूरे राज्य में अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंच गया है । इसकी संपुष्टि समाचार पत्रों को सुनने, देखने एवं पढ़ने से हो जाती है ।

अतः अनुरोध है कि आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में ध्वस्त हो चुकी विधि-व्यवस्था पर सदन में विमर्श कराया जाय ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, अगर अभी नहीं करा सकते हैं तो ध्यानाकर्षण समिति में भेजवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : अभी बैठ जाइये ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा -25 (4) के तहत बिहार सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2016-17 का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 2017-18 का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2009-10 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

याचिकाओं का उपस्थापन

अध्यक्षः सभा सचिव ।

सभा सचिवः माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 61 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिए जायेंगे ।

शून्यकाल

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 09 हजार चिन्हित नियोजित शिक्षक दिनांक 20 जुलाई, 2021 तक जानकारी के अभाव में वेबपोर्टल पर प्रमाणपत्र अपलोड करने से वंचित रह गये जिससे उनकी नौकरी पर खतरा है ।

अत: सरकार से शिक्षा विभाग द्वारा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु एक मौका और दिये जाने की मांग करता हूं ।

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज प्रखण्ड में 29.9 आर0डी0 सोनवर्षा माइनर में कलवट करहा न होने से भारतीपुर गांव का लगभग 600 एकड़ जमीन परती और वहां के लोग भुखमरी की स्थिति में है ।

अत: एक फीट कलवट एवं करहा का निर्माण अविलंब कराने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, मेहता जी ।

श्री मोहम्मद कामरान : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलांतर्गत रोह, कौआकोल और गोविन्दपुर प्रखण्ड में सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण किसानों को खेती में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । सदन के माध्यम से उक्त तीनों प्रखण्ड को निर्बाध बिजली मुहैया कराने की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, भारत-नेपाल सीमा से सटे बोर्डर से मोटर साईकिल/चार चक्का वाहनों का आना जाना विगत 20 माह से बंद है । वर्तमान में रक्सौल, बंकुल, गौर सहित अन्य बोर्डर नेपाली वाहनों का भारत में प्रवेश हो रहा है । परंतु हजारों भारतीय मोटरसाईकिल को नेपाल में जब्त कर दिया गया है । सरकार भारतीय वाहनों को मुक्त तथा आवागमन चालू करावे ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के 29 पंचायतों वाला सबसे बड़ा प्रखण्ड, पीरपैंती में स्वास्थ्य सुविधा का घोर अभाव है । जिला अस्पताल से अधिकतम दूरी एवं जनसंख्या घनत्व को देखते हुए मैं सरकार से पीरपैंती में 200 बेड का अस्पताल निर्माण करवाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौनाहा में ग्रामीण कार्य विभाग, नरकटियागंज द्वारा वर्ष 2019 में गौनाहा रेलवे स्टेशन से सिठी तक पथ का निर्माण कार्य हुआ था । उक्त पथ डेढ़ वर्ष में ही जर्जर हो चुका है ।

अत: उक्त पथ की जांच कराने की मैं मांग करती हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज वि0स0 क्षेत्र अंतर्गत पोठिया प्रखण्ड के उच्च राज्यमार्ग एन0एच0-27 रामगंज से पोठिया प्रखण्ड मुख्यालय होते हुए दामलबाड़ी, सिंघिया, बेलवा होते हुए किशनगंज मुख्यालय तक राज्य परिवहन बस का परिचालन नहीं होने से आमजनों को लगभग 50 कि0मी0 से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है ।

अत: उक्त क्षेत्रों में राज्य परिवहन बस का परिचालन करने की मांग करता हूं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के बखरी प्रखण्ड के बैरवा महादलित टोला का प्रखण्ड मुख्यालय से सीधा सम्पर्क नहीं रहने के कारण लोगों को विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: मैं सरकार से बैरवा महादलित टोला और सकरपुरा के बीच पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलांतर्गत मधुबनी शहर में अवस्थित सदर अस्पताल, मधुबनी अंग्रेजों के जमाने का है । आजतक उसका आधुनिकीकरण नहीं किया गया है ।

अत: 200 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाते हुए सदर अस्पताल, मधुबनी को जिला अस्पताल घोषित करने की मांग करता हूं ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार सीता पर्यटन स्थल पुनौरा (सीतामढ़ी) में संग्रहालय, गेस्ट हाउस एवं अन्य राज्य स्तरीय पर्यटन के मानदंडों के अनुरूप केन्द्र में प्रसाद योजना के अंतर्गत कार्य हेतु यथाशीघ्र प्राक्कलन तैयार करावे ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला प्रखण्ड बाजपट्टी नहरा से रसलपुर पी0डब्लू0डी0 पथ में सोनमनी टोल के पास वर्ष 2019 के ही बाढ़ में पुल बिल्कुल ध्वस्त हो गया है । वहां हमेशा कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, जनहित में पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के पिपरा विधान सभा के चकिया में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

टर्न-8/हेमन्त-धिरेन्द्र/30.07.2021

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत अरेराज विद्युत सब-डिविजन का डिविजन पहले मोतिहारी में था, परंतु अब चकिया चला गया है । जिससे लोगों को जाने-आने में काफी कठिनाई एवं दूरी का सामना करना पड़ता है ।

अत: मैं मांग करता हूं कि पुन: अरेराज विद्युत सब-डिविजन का डिविजन मोतिहारी में लाया जाय ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के बासोपट्टी, जयनगर एवं खजौली प्रखण्ड में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित किसान को फसल क्षति अनुदान एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत अनुदान देने की मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के शाहकुण्ड प्रखण्ड के मुख्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराकर यातायात सरल बनाया जाय ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । 14 शब्दों में है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, उड़ान योजना अंतर्गत पूर्णिया से विमान सेवा प्रारम्भ करने हेतु अधिग्रहित भूमि एवं एयरपोर्ट आधुनिकीकरण के लिए 16 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव की स्वीकृति के विलम्ब से विमान सेवा लंबित है ।

अत: मैं सरकार से पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा शीघ्र संचालन हेतु जमीन संबंधी समस्या समाधान करने की मांग करता हूं ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल अनुमंडल में पकड़ीदयाल थाना अंतर्गत शेखपुरबा बाजार पर पुलिस ओ0पी0 निर्माण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । 16 शब्दों में ही है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सीवान जिलान्तर्गत जिरादेई प्रखंड के गड़ार-हुसैनगंज के बीच दाहा नदी का पुल जर्जर स्थिति में है । इसी पुल से दरौली सीवान जिरादेई की आम जनता आती-जाती है । जनहित में उक्त पुल के बगल में नया पुल बनाने की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सिकटा और मैनाटांड अंचल के अंचलाधिकारियों की रिश्वतखोरी से पूरे क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है । जमीन की जमाबन्दी और अन्य कार्यों में जनता से की जा रही इस लूट से जनता की मुक्ति की मांग करता हूं ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय का भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है । कभी भी भवन गिर सकता है ।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय इस्लामपुर के भवन का इस वित्तीय वर्ष में नवनिर्माण कराया जाय ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल में बालू का उठाव बंद होने के बावजूद बालू खनन जारी है । बालू माफिया के साथ अरवल एस.पी. एवं अन्य पदाधिकारियों की संलिप्तता एवं इनकी सम्पत्ति की जांच की मांग करता हूं ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड मुख्यालय आने के लिए नौ पंचायत के लोगों को बाढ़ एवं बरसात के दिनों तीन माह रास्ता बंद रहता है ।

अत: मैं सरकार से अशोक पेपर मिल के नजदीक करेह नदी पर बने पुल से इनमाइत ढाला तक पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, पटना निवासी आलोक कुमार सिंह का 9 माह का पुत्र अयांश जो दुर्लभ जानलेवा बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से जूझ रहा है । इस बीमारी की एक मात्र दवा Zolgensma इन्जेक्शन है जिसकी कीमत करोड़ो में है। गुजरात एवं आन्ध्र प्रदेश के बच्चे को पूर्व में उक्त इन्जेक्शन द्वारा इस बीमारी से बचाया गया है ।

मैं अयांश को बचाने की मांग करता हूँ ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की योजनाओं जैसे पोखरा खनन, बांध निर्माण आदि कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता एवं आर्थिक धांधली की जा रही है ।

अत: विभागीय पदाधिकारियों की संलिप्ता की उच्चस्तरीय जाँच व कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला के काको प्रखण्ड अन्तर्गत पिरोजी गांव के पास जदु आहर में पुल निर्माण कर किसानों के खेत तक आने-जाने की सुविधा प्रदान करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, अकबरपुर से रोहतासगढ़ किला तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाय ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । 11 शब्दों में है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला अंतर्गत महुआ बाजार में आये दिन जाम एवं जान-माल की क्षति को रोकने हेतु ओवरब्रिज बाईपास तथा दोनों तरफ बड़ा अंडरग्राउंड नाला का निर्माण जनहित में शीघ्र कराया जाय ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिला के बच्चों को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु आई.टी. सेंटर की स्थापना शीघ्र की जाय ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । 16 शब्दों में है ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, पंजाब से रोपनी का काम समाप्त कर लौट रहे बाराबंकी में बिहार के अबतक 19 मजदूरों की मौत और 24 के घायल होने की खबर है ।

मुख्यमंत्री द्वारा मात्र 12 मृतकों को 2 लाख मुआवजा के बरक्स सभी मृतक परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरूआ प्रखंड के दुब्बा पंचायत अंतर्गत ग्राम फतुआचक में उर्दू प्राथमिक विद्यालय सामुदायिक भवन में चल रहा है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त विद्यालय का भवन निर्माण शीघ्र कराया जाय ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के पालीगंज और दुल्हिन बाजार प्रखंड के अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा गर्भवती महिलाओं, कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों तथा प्री-स्कूलिंग बच्चों को किसी प्रकार का पोषाहार नहीं दिया जा रहा है ।

इसकी स्वतंत्र जाँच कराकर भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की माँग करता हूँ ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, वैसे प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के नियोजित शिक्षक जो उच्च माध्यमिक स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल में नियुक्ति की पात्रता रखते हैं । उनके उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के रूप में योगदान के पश्चात् नियमित शिक्षक के अनुरूप सेवा में निरंतरता की मांग करता हूँ ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाण, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के तर्ज पर बिहार में भी आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को भी सरकारी नौकरी में पांच साल तक आयु सीमा में छूट देने की सरकार से मांग करता हूँ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत 52 विधान सभा क्षेत्र में दुर्घटनाओं से हुई मृत्यु में मिलने वाली मुख्यमंत्री अनुग्रह अनुदान राशि 2018 से अब तक लंबित है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलम्ब आश्रितों को भुगतान किया जाय ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के संयुक्त तत्वाधान में 'जन स्वास्थ्य' व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों को बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग में नियुक्ति की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल समाप्त हुआ । अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जायेंगी । जो शेष बचे हैं, वह शून्यकाल कमेटी में चले जायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः शून्यकाल को पूरा ले लिया जाय।

(व्यवधान)

अध्यक्षः 10 मिनट बचा है, आज 12:30 बजे तक ही सदन होगा ।

(व्यवधान)

नियम में 12:30 बजे तक ही है ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, शून्यकाल कमेटी में चली जायेगी । ध्यानाकर्षण छोड़ दें ?

(व्यवधान)

टर्न-09/संगीता-सुरज/30.07.2021

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री जनक सिंह, संजीव चौरसिया एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जनक सिंह की सूचना पढ़ी हुई है । माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, लोक सेवा आयोग के वर्तमान Standard Evaluation Policy के तहत मूल्यांकन के पूर्व परीक्षकों एवं प्रधान परीक्षकों द्वारा परीक्षा के साथ प्रश्न पत्र सभी प्रश्नों के संबंध में गहन विस्तृत सूक्ष्म विचार-विमर्श किया जाता है । मूल्यांकन में एकरूपता के प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्रश्न के सम्यक और निहित उत्तर और अंक प्रदान करने के संबंध में मूल्यांकन का सुस्पष्ट मापदंड अपनाया जाता है । इसके तहत 60 प्रतिशत से अधिक 30 प्रतिशत से कम प्राप्तांकों वाली सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रधान परीक्षक के द्वारा करायी जाती है । उसके द्वारा क्रम में क्रमशः 15 प्रतिशत मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाती है ।

खण्ड-2 आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 की प्रक्रिया 16 में अंकित प्रावधानों के अनुपालन में कार्रवाई की जाती है जिसके फलस्वरूप नन-ज्वाइनिंग से हुई रिक्ति को अगली नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अग्रसारित किये जाने का प्रावधान है । फलस्वरूप उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में Waiting List बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को मेधा सूची के बीच असंतुलन न हो, इसके लिए ऐच्छिक विषयों में पहला Standard Evaluation Policy और दूसरा Waiting List भी प्रकाशित करना यह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है । इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी 27 जुलाई, 2018 को निर्देश भी दे चुके हैं विभाग को । माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी दिया जा चुका है और

हमारा इसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे राज्य के मेधावी बच्चे प्रभावित न हों इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का जब निर्देश प्राप्त हो चुका है 27 जुलाई, 2018 को तो फिर इस प्रश्न का जो जवाब आया है माननीय मंत्री जी का, हमको गजब सा लग रहा है...

अध्यक्ष : उनसे मिल करके समझ लीजियेगा ।

श्री जनक सिंह : महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह का निर्देश है तो मेधावी बच्चों के हित में सरकार कब तक और किस तिथि तक निर्णय करेगी ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जिस निर्देश का जिक्र इन्होंने किया है मुझे इसकी जानकारी नहीं है । मैं इसको दिखवा दूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, मिलकर देख लीजियेगा ।

सर्वश्री अजीत शर्मा, समीर कुमार महासेठ एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी की सूचना पढ़ी गई है । माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संविधान के 103वें संशोधन के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आरक्षण अधिनियम, 2019 के माध्यम से राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है । इस आरक्षण के प्रावधान को लागू करने हेतु भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक-31.01.2019 के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक-26.02.2019 निर्गत किया गया है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त ऑफिस मेमोरेंडम की कंडिका-03 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि यदि किसी भर्ती वर्ष में अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कार्यहित योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सके तो ऐसी स्थिति में नए नियुक्ति वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रसारित नहीं की जाएगी । इसी प्रकार इस उपर्युक्त संशोधन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान

अंकित नहीं है इसलिए राज्य सरकार ने भी इसका प्रावधान नहीं किया है । जहां तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण को राज्य तक सीमित करने का प्रश्न है, इस संदर्भ में बिहार आरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 4 (1) के परन्तुक में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि राज्य के बाहर से अभ्यर्थी अधिनियम अधीन आरक्षण के लागू हेतु दावा नहीं करेंगे । उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए यथासंभव प्रावधान किए गए हैं ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ई0डब्लू0एस0 कैटेगरी को आयु सीमा में गुजरात में 5 वर्ष, महाराष्ट्र में 5 वर्ष, हरियाणा में 5 वर्ष, जम्मू-कश्मीर में 3 वर्ष की छूट दी जाती है तथा महाराष्ट्र में पुलिस की नियुक्ति में 3 वर्ष की छूट के साथ-साथ ऊंचाई और छाती में भी 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है । मेरा दूसरा पूरक है क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उपर्युक्त राज्यों में बैकलॉग भी ई0डब्लू0एस0 में लागू है ? मेरा तीसरा पूरक है, माननीय मंत्री जी ई0डब्लू0एस0 कैटेगरी के विपन्न लोग इसी राज्य के निवासी हैं और आपके स्नेह के हकदार भी हैं । इतनी उपेक्षा उचित नहीं है इसलिए माननीय मंत्री जी क्या यह बतायेंगे कि भेदभाव समाप्त करने के लिए ई0डब्लू0एस0 के लिए बने कानून को सरकार एक माह के अंदर संशोधित करने पर विचार रखती है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से भारत सरकार के द्वारा निर्गत जो पत्र है उसके प्रावधान के अनुरूप जो संकल्प संख्या है, उसको मैंने पढ़ दिया है । इसमें कोई संशोधन कोई अलग से विचार रखने का कोई मामला नहीं है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, आज जो चीज कहा गया, हम कहते हैं कि अगर सरकार है तो सरकार को आप निर्देश दे सकते हैं कि जो इसी राज्य के नागरिक हैं, कम से कम यह जो डिस्पैरिटीज है जब दूसरे राज्य का रिफरेंस दिया गया कि गुजरात में 5 वर्ष, महाराष्ट्र में 5 वर्ष, हरियाणा में 5 वर्ष तो बिहार क्या है, देश से अलग तो नहीं है । अलग कुछ गलतियां हुई हैं तो उसे सुधार सकते हैं । सारा दस्तावेज उपलब्ध है तो मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर है । हर राज्य की अपनी-अपनी सोवेरेनिटी है अपने कानून बनाने का, इसके लिए विधानमंडल सर्वोपरि है।

कौन राज्य क्या कर रहा है और कहां की क्या परिस्थिति है, दूसरे राज्य में भी वह लागू हो यह उदाहरण नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष : अब शेष ध्यानाकर्षण सूचनाएं, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के विचारार्थ रहेगा ।

अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–10/मुकुल–राहुल/30.07.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : अध्यक्ष महोदय, एक सूचना है ।

अध्यक्ष : अब क्या है ?

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : अध्यक्ष महोदय, गौरी शंकर ठाकुर सोना–चांदी के व्यवसायी थे, सिमरी बाजार में उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और वहां पर पुलिस ओ0पी0 बनाया जाय ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक–1 : श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के दरभंगा–रक्सौल रेल खंड के कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन को विकसित कर यात्री सुविधाओं से पूर्ण करने के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के दरभंगा–रक्सौल रेल खंड के कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन को विकसित कर यात्री सुविधाओं से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–4201, दिनांक–23.07.2021 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया संकल्प को वापस लें ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद । हम अपने संकल्प को वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–2 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज में No.Ho.327E के निकट स्थित बस स्टैंड का सौन्दर्यीकरण करावे ।''

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत रानीगंज विभागीय अधिसूचना संख्या–971, दिनांक–03.03.2021 के द्वारा नवगठित किया गया है । अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज में एन0एच0 327E के निकट स्थित बस स्टैंड सौन्दर्यीकरण का कार्य जनहित में किया जाना आवश्यक है । बस स्टैंड के सौन्दर्यीकरण के संबंध में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस नगर पंचायत की उपलब्ध होने वाली राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कार्यान्वयन नगर पंचायत रानीगंज द्वारा किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह गैर सरकारी संकल्प को वापस लें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–3 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के मितऑवा के पास सोन नदी में प्रस्तावित इन्द्रपुरी जलाशय (कदवन डैम) का निर्माण कार्य अति शीघ्र शुरू करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि 1980 के दशक में प्रस्तावित कदवन जलाशय योजना वर्तमान में ''इन्द्रपुरी जलाशय योजना'' के रूप में नामित है । पूर्व में कदवन जलाशय योजना नाम से समर्पित डी0पी0आर0 वर्ष 1987 से 2004 तक केन्द्रीय जल आयोग में डूब क्षेत्र पर उत्तरप्रदेश से सहमति के अभाव में स्वीकृति हेतु लंबित रही । राज्य सरकार के अनुरोध पर योजना की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग में दिनांक– 10 मई, 2005 एवं दिनांक–09 अगस्त, 2007 को बैठक संपन्न हुई ।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सर्वे ऑफ इंडिया से कंटूर सर्वे तथा अन्य कार्य संपादित कराया गया । फरवरी, 2015 में सर्वे ऑफ इंडिया से अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् दिनांक– 05.02.2016 को सम्पन्न अन्तर्राज्यीय

बैठक में नये सिरे से विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किए जाने का निर्णय हुआ । दिनांक–28.06.2017 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के निर्णय के आलोक में इन्द्रपुरी जलाशय योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य परामर्शी को सौंपा गया है । परामर्शी द्वारा तैयार पी0पी0आर0 की प्रति केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु उपलब्ध करा दी गई है, परन्तु झारखण्ड सरकार द्वारा योजना पर अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से सहमति नहीं दिए जाने के कारण पी0पी0आर0 की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त नहीं हो पा रही है । विभागीय स्तर पर अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से सहमति हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है एवं झारखण्ड सरकार से सचिव स्तरीय बैठक कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक–43 दिनांक–28.01.2021 एवं विभागीय पत्रांक–99 दिनांक–24.02.2021 द्वारा अनुरोध किया गया है । प्रेषित पत्र का झारखण्ड सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है एवं अब तक झारखण्ड सरकार का रूख सहयोगात्मक नहीं रहा है ।

प्रस्तावित योजना के पी0पी0आर0 झारखण्ड एवं उत्तर प्रदेश सरकार को सहमति के लिए भेजा गया, परन्तु दोनों राज्य सरकार से अब तक सहमति नहीं प्राप्त होने एवं सी0डब्ल्यू0सी0 की सभी पृच्छाओं का निराकरण करने के पश्चात् पी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु सी0डब्ल्यू0सी0 को विभागीय पत्रांक–283 दिनांक–27.07.2021 से अनुरोध किया गया है ।

पी0पी0आर0 की स्वीकृति के पश्चात् डी0पी0आर0 शीघ्र ही केन्द्रीय जल आयोग को समर्पित किया जायेगा एवं डी0पी0आर0 की स्वीकृति के पश्चात् योजना के कार्यान्वयन की दिशा में कार्रवाई की जा सकेगी । बिहार सरकार इन्द्रपुरी जलाशय के निर्माण हेतु कृत संकल्पित है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, इस जलाशय के निर्माण से संबंधित 03 मार्च, 2020 को मेरे ध्यानाकर्षण को जो जवाब दिया था यह जवाब तो वही है और माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि हम तीन माह के अंदर डी0पी0आर0 बना लेंगे तो 03 मार्च, 2020 के बाद क्या कार्रवाई हुई है, माननीय मंत्री जी को इसके बारे में बताना चाहिए ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हम लोगों का सारा कुछ तैयार है झारखण्ड सरकार से हम लोग बात कर रहे हैं वहां से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस प्रोजेक्ट पर इसीलिए यह डिले हो रहा है ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : ठीक है वापस लेते हैं सर ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग को एक आवश्यक कार्य हेतु सदन से जल्दी जाना है इसलिए उनके विभाग से संबंधित शेष संकल्पों को भी अब एक-एक कर पुकार लेते हैं अन्य शेष संकल्प अपने क्रम से रहेंगे ।

क्रमांक-25, श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड-बाजपट्टी के ग्राम-बंगराहा में अधवारा नदी पर स्लूईस गेट का निर्माण करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड बाजपट्टी के ग्राम बंगराहा से 250 मीटर की दूरी पर अधवारा नदी का दायां तटबंध अवस्थित है । बंगराहा ग्राम के सामने अधवारा दायां तटबंध के कि0मी0 10.30 पर पूर्व से ही एण्टी फ्लड स्लूईस गेट के निर्माण का तकनीकी रूप से कोई औचित्य नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री मुकेश कुमार यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-31, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पश्चिमी चम्पारण के सिकटा प्रखंड के ओरिया नदी तटबंध पर इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड से छपैनिया होते हुए, ओरिया एवं गाद नदियों के संगम स्थल के पास गाद-बहुअरी-रामगढ़वा मार्ग से जोड़ने वाले सड़क का निर्माण करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड स्थित लाईन परसा ग्राम से ओरिया नद तटबंध तक आरम्भ में 500 मीटर गैप है एवं ओरिया नदी तटबंध के अंतिम छोर से सतगड़ी ग्राम स्थित ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित सड़क के बीच 4.00 कि0मी0 का गैप अवस्थित है ।

प्रश्नगत सड़क निर्माण हेतु त्रिवेणी शाखा नहर एवं ओरिया नद पर एक-एक पुल निर्माण की भी आवश्यकता होगी ।

तटबंध शीर्ष का उपयोग बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की ढुलाई एवं विभागीय निरीक्षण वाहन के आवागमन हेतु किया जाता है । जल संसाधन विभाग द्वारा आमत आवागमन हेतु सड़क/पुल का निर्माण नहीं किया जाता है । प्रश्नगत सड़क एवं पुल निर्माण हेतु अन्य संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र मांगे जाने पर जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

टर्न-11/यानपति-अंजली/30.07.2021

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ताः महोदय, 2017 की बाढ़ के बाद सिकटा प्रखंड के करीब एक चौथाई हिस्से में लोगों की खेतीबाड़ी नहीं हो पा रही है । अगर वह बांध और सड़क बन जाती है तो उस इलाके का पूरा कल्याण हो जाता, किसानों को राहत हो जाती और रास्ता भी सुगम हो जाता ।

अध्यक्षः आप अपना संकल्प सदन की सहमति से वापस ले लीजिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ताः जी, लेकिन जरूरी है, हम आग्रह करते हैं पुनः इस पर विचार करेंगे माननीय मंत्री जी । हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ । श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

<u>क्रमांक- 32 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0</u>

श्रीमती शालिनी मिश्राः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत केसरिया विधानसभा क्षेत्र की 35 पंचायतों में से 25 को जल-जमाव से तथा 10 को बाढ़ से सुरक्षा देने हेतु रघवा नदी पर रिंग बांध का निर्माण सहित रघवा नाला और सुमोती नदी पर रिंग बांध निर्माण सहित रघवा नाला और सुमोती नदी की सफाई करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के सेमुआपुर से लोहरगावा और केसरिया होते हुए निकलने वाले रघवा नाला की सफाई एवं दो अदद डी0एल0आर0 ब्रिज के निर्माण की योजना पर तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा प्राप्त हुई है जिसके आलोक में प्राक्कलन तैयार किया

जा रहा है । निधि की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वयन का काम किया जाएगा, इसलिए माननीय सदस्या से आग्रह है कि इस संकल्प को वापस ले लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, बस एक छोटा सा आग्रह माननीय मंत्री जी से है कि ये लगभग 20-25 साल से पेंडिंग है यह मामला । हमारे सदस्य थे, विधान सभा के आदरणीय स्वर्गीय पिताम्बर सिंह जी, उन्होंने भी उठाया था 20-25 साल पहले से मामला उठ रहा है इसको जल्दी से जल्दी करवा दें, साथ ही सुमोती नदी की भी सफाई करा दें ताकि हमलोगों को जल-जमाव और बाढ़ से छुटकारा मिले, इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ । श्री रामबली सिंह यादव ।

क्रमांक- 46 : श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0

श्री रामबली सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिलान्तर्गत काको प्रखंड के परसाईन से लेकर सलेमपुर तक दरधा नदी के किनारे कटाव से त्रस्त आधा दर्जन ग्रामों को बचाने के लिए दरधा नदी में बोल्डर पिचिंग का निर्माण कार्य करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिला के काको प्रखंड के अंतर्गत दरधा नदी पर निर्मित लॉजो ग्राम के निकट आर0सी0सी0 पुल के डाउन स्ट्रीम में नदी के दाएं किनारे ग्राम सलेमपुर, टिमलपुर एवं परसाईन अवस्थित है तथा बाएं किनारे पर करवला एवं सैदावाद गांव अवस्थित है । वर्तमान में उक्त स्थल पर कोई कटाव नहीं हो रहा है । बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है । विभागीय पत्रांक-2836, दिनांक-26.07.2021 से मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण पटना को बाढ़ अवधि में स्थल पर सतत निगरानी एवं चौकसी रखते हुए स्थल को हर हाल में सुरक्षित रखने हेतु निदेशित किया गया है, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री रामबली सिंह यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, हमलोग उसको हमेशा...

अध्यक्ष: मंत्री जी कह रहे हैं, आप वापस ले लीजिए ।

श्री रामबली सिंह यादव: वह तो ठीक है लेकिन वह जो परसाईन गांव से लेकर के टिमलपुर, लोधीपुर एवं चकिया गांव है जो कब दरधा नदी के अंदर चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है तो बताया जा रहा है कि कोई कटाव नहीं है अफसोस है हमें कि इस तरह की

रिपोर्ट आई है और हम उम्मीद करेंगे कि मंत्री जी, इसको बोल्डर पिचिंग कराएं और हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ । श्री शम्भू नाथ यादव ।

क्रमांक- 48 : श्री शम्भू नाथ यादव, स0वि0स0

श्री शम्भू नाथ यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर जिला के सेमरी प्रखंड के गंगोली गांव से नियाजीपुर ढाला होते हुए केशवपुर सीवान बांध तक सड़क की लंबाई 08 कि0मी0 है, सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, सरकार बांध पर सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिला के सेमरी प्रखंड के अंतर्गत बक्सर कोइलवर गंगा तटबंध के गंगोली गांव से नियाजीपुर ढाला होते हुए केशवपुर सीवान तक के बीच जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित सड़क की लंबाई 14 कि0मी0 है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है । उपलब्ध आवंटन के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर प्रश्नगत सड़क में मरम्मती हेतु कार्रवाई की जायेगी, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री शम्भू नाथ यादव: महोदय, 6 साल से जब-जब विधान सभा चला, मैंने इस काम के लिए प्रश्न किया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ । श्री जनक सिंह ।

क्रमांक -55: श्री जनक सिंह, स0वि0स0

श्री जनक सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत पानापुर, इसुआपुर एवं तरैया प्रखंडों के निवासियों एवं फसलों को बाढ़ग्रस्त होने से बचाने तथा लोगों को सहज आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डाबरा नदी के दोनों तरफ के कमजोर तटबंधों का सुदृढ़ीकरण कराते हुए कालीकरण करावे।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि डाबरा नदी का उद्गम स्थल गोपालगंज जिला के करमाही चौक से है, इसकी लंबाई 160 कि0मी0 है । डाबरा नदी मुख्य रूप से मढ़ौरा, अमनौर तथा तरैया से होते हुए माही नदी में मिलता है । डाबरा नदी पानापुर प्रखंड से लगभग 20 कि0मी0 दूर है । डाबरा नदी मुख्य रूप से नाला के रूप में पूरे वर्ष प्रवाहित होती है । केवल बाढ़ अवधि में ही उसका जलस्तर बढ़ता है । बाढ़ अवधि में भी डाबरा नदी का जलस्तर प्राय: एन0एस0एल0 से

नीचे ही रहता है । डाबरा नदी में कहीं भी कोई बांध निर्मित नहीं है । अतः सुदृढ़ीकरण या कालीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री जनक सिंहः अध्यक्ष महोदय, उस डाबरा नदी पर तटबंध का निर्माण हुआ है । उसमें करीब-करीब 75 परसेंट तटबंध जो है वह टूटी हुई अवस्था में है और आप उसको जांच करा लीजिए, जो आपका रिपोर्ट आया है आपके पास, उसकी जांच करा दें । दूसरी बात, बात यह है कि उस पर करीब-करीब 7 कि0मी0 कालीकरण भी कार्य हुआ है और उस डाबरा नदी के दोनों किनारे बहुत बड़ी बस्ती है और वह बस्ती हमारे अतिपिछड़े वर्गों का है, महादलितों का है और वहां ऐसा है कि हमको लगता है कि राज्य के अंदर वैसा कहीं नहीं है जैसे- फेनहारा गदी है, उसमें हंड्रेड परसेंट अतिपिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वैसे अनेकों इस तटबंध के दोनों किनारों और गोपालगंज से 30 कि0मी0 का पानी हमारे क्षेत्र में आता है...

अध्यक्षः आप वापस ले लीजिये ?

श्री जनक सिंहः जी हम वापस ले लेते हैं ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ । श्री कुंदन कुमार ।

<u>क्रमांक- 4 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0</u>

श्री कुंदन कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिलान्तर्गत तिलरथ से जमालपुर तक जाने वाली डेमू ट्रेन को बछवाड़ा तक चलाने हेतु रेल मंत्रालय केंद्र सरकार से सिफारिश करें ।''

अध्यक्षः माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

टर्न-12/सत्येन्द्र/30-07-21

श्रीमती शीला कुमारी,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बेगुसराय जिलान्तर्गत तिलरथ से जमालपुर तक जाने वाली डेमू ट्रेन को बछवाड़ा तक चलाने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित हैं । इस संबंध में विभागीय पत्रांक 4176 दिनांक 23-7-21 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प वापस ले लें ।

श्री कुंदन कुमारः मैं इसके लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्षः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांकः- 5, श्री शाहनवाज,स0वि0स0

श्री शाहनवाजः अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र के महलगांव, पछियारी पिपरा सहित 10 पंचायतों को मिलाकर महलगांव को प्रखंड का दर्जा प्रदान करें ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीःअध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के महलगांव को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी, अररिया से प्रखंड सृजन संबंधी प्रपत्र 16 कॉलम में प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ है । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वर्त्तमान प्रखंड मुख्यालय से प्रस्तावित पंचायत का सम्पर्क सड़क काफी अच्छा है । प्रस्तावित प्रखंड से जोकीहाट प्रखंड आने जाने में कोई असुविधा नहीं है एवं कम समय में ही वर्त्तमान प्रखंड मुख्यालय पहुंचा जा सकता है । अतः मलहगांव नाम से एक नया प्रखंड बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री शाहनवाजः मैं प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-6: श्री जितेंद्र कुमार,स0वि0स0

श्री जितेंद्र कुमारः अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड मुख्यालय के खाली पड़े कृषि फार्म की जमीन पर दलहन अनुसंधान केन्द्र का निर्माण करावें ।''

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्रीः महोदय, नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड के बगल में कृषि फार्म की जमीन खाली नहीं है । इस जमीन पर आधार बीज उत्पादन का कार्य मुख्यतः खरीफ रब्बी एवं गरमा मौसम में किया जाता है । फार्म पर बीज उत्पादन का कार्य कृषि विभाग, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ताकि राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके । महोदय इसलिए मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम आग्रह करना चाहता हूॅ कि वे प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री जितेंद्र कुमारः अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र पूर्णतः टाल क्षेत्र है और पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर दलहन की ऊपज होती है महोदय और यह सरमेरा प्रखंड मुख्यालय में है और जिला का सुदूरवर्त्ती क्षेत्र है और वहां पर व्यापक पैमाने पर दलहन का ऊपज होता है। हम आग्रह करेंगे कि यहां पर दलहन अनुसंधान केन्द्र खोला जाय ताकि वहां पर और

अच्छा दलहन का उत्पादन हो सके और रिसर्च भी हो सके ताकि हम और आगे बढ़ सके, टाल क्षेत्र को और आगे बढ़ा सकें महोदय, यही मेरा आग्रह है।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री: महोदय, विदित हो कि टाल क्षेत्र जो दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वहां दलहन अनुसंधान केन्द्र, मोकामा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर के अधीन कार्यरत है । यहां विश्वविद्यालय के दलहन वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान कार्य किये जाते हैं । सरमेरा नालंदा जिला के अन्तर्गत राज्य सरकार का राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र प्रजनक बीज से आधार बीज का उत्पादन खरीफ एवं रब्बी मौसम में प्रतिवर्ष किया जाता है और उत्पादित बीज बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से किसानों के बीच उत्पादन हेतु वितरित किया जाता है ।

अध्यक्ष: वापस लीजिये ।

श्री जितेंद्र कुमार: वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक:- 7, श्री हरिनारायण सिंह,स0वि0स0</u>

श्री हरिनारायण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य प्रमंडल, हरनौत के चंडी प्रखंड के ग्राम पंचायत तुलसीगढ़ अन्तर्गत एन0एच0-30 ए से गोसाई विगहा आर0डब्लू0डी0 पथ बी0आर0आर0डी0ए0 (एच0क्यू0)एम0एम0जी0एस0वाई0.282/20 दिनांक 25-05-20 से विभागीय स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित पथ का प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए अविलंब निर्माण कार्य प्रारम्भ करावे।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कार्य प्रमंडल, हरनौत के अधीन चंडी प्रखंड ग्राम पंचायत तुलसीगढ़ अन्तर्गत अभिस्तावित पथ एन0एच0-30 ए से गोसाई विगहा चंडी हरनौत तुलसीगढ़ हाई स्कूल के गोसाई मठ पथ का प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक संख्या बी0आर0आर0डी0ए0 (एच0क्यू0) एम0एम0जी0एस0वाई0 610-207156 पटना दिनांक 06-02-18 द्वारा दी जा चुकी है। इस क्रम में स्थानीय आम जनों से प्राप्त शिकायत के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जो पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है। अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री हरिनारायण सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस पथ की स्वीकृति हेतु 14 महीनों से हेड क्वार्टर में लंबित है और 14 महीनों के बाद जब मैंने गैर सरकारी संकल्प रखा, तब पुनरीक्षित करने के लिए भेजा गया । आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे विधान-सभा हरनौत के अन्तर्गत एकमात्र गांव गोसाईं बिगहा है जिसकी आबादी डेढ़ से दो हजार है । एक मात्र गांव बचा हुआ है सड़क से और जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति देने हेतु 14 महीनों तक लंबित रहा हेड क्वार्टर में और जब मैंने गैर सरकारी संकल्प लाया तो इसको फिर पुनरीक्षित करने हेतु भेज दिया गया। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसी वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए रोड का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति 5-4-21 को प्राप्त हो गया है महोदय, आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त करते हुए स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इसी वित्तीय वर्ष में हो जायेगा महोदय इसलिए इसे वापस ले लें।

श्री हरिनारायण सिंह: धन्यवाद । चूंकि इसी वित्तीय वर्ष कार्य पूरा हो जायेगा इसलिए माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ।

अध्यक्ष: प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हरिनारायण सिंह: प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक:-8, श्री अरूण सिंह,स0वि0स0</u>

श्री अरूण सिंह: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के विक्रमगंज शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण करावें।''

श्री नितिन नवीन,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विक्रमगंज में एन0एच0-120 (गया-दाउदनगर-नासरीगंज-विक्रमगंज-डुमरांव पथ) तथा एस0एच0-12, आरा-सासाराम पथ एक दूसरे को क्रॉस करती है । नासरीगंज से विक्रमगंज पथांश का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (2 Lane with Paved shoulder) का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है और इस पथांश में कार्य प्रारम्भ किया गया है । इस कार्य में विक्रमगंज स्थित जंक्शन का जंक्शन इम्प्रुवमेंट का कार्य सम्मिलित है । विक्रमगंज से डुमरांव पथांश का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण (2 Lane with Paved shoulder) का

कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है और निविदा निस्तार प्रक्रियाधीन है । इसके अतिरिक्त सासाराम आरा पटना में हरित क्षेत्र में फोर लेन पथ बनाने हेतु भू-अर्जन की कार्रवाई चल रही है। विक्रमगंज में फ्लाई ओवर का निर्माण प्रस्तावित नहीं है । नासरीगंज विक्रमगंज डुमरांव पथांश का चौड़ीकरण (10M wide) सासाराम-आरा-पटना का हरति क्षेत्र फोर लेन पथ का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् विक्रमगंज में जाम की स्थिति में काफी हद तक सुधार हो जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अरूण सिंहः मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-13/मधुप/30.07.2021

क्रमांक-9 : श्री रत्नेश सादा, स0वि0स0

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखण्ड के वार्ड 6 के पामा पंचायत के मुजलिया नदी में दो स्पैन पुल का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ अवस्थित गैठ घीता टोला बसावट की सम्पर्कता पंचायत द्वारा निर्मित पी0सी0सी0 पथ से प्राप्त है एवं दूसरे तरफ 4-5 घर एवं कृषि योग्य भूमि है । अभिस्तावित पुल के अपस्ट्रीम में 250 मीटर पर पुल निर्मित है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों पर बारह-मासी पथ एकल सम्पर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ के बसावट को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है एवं दूसरे तरफ कोई योग्य बसावट नहीं है ।

अतः अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मुजलिया नदी में आये-दिन लोग बराबर डूबते रहते हैं । इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि दो स्पैन पुल का निर्माण करावें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री रत्नेश सादा : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–10 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंडान्तर्गत बेलाही नीलकंठ पंचायत के थुमहा खोपा ग्राम के लखनदेई नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल पी0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित बेलाही नीलकंठ से धनुषी पथ लम्बाई 3.132 कि0मी0 के चैनल 1750 मीटर पर अवस्थित है । उक्त स्थल पर नदी की चौड़ाई लगभग 60 मीटर है । पुल निर्माण हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता से फिजिबलिटी रिपोर्ट की माँग की गई है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि 5–6 पंचायत उस पुल से प्रभावित होता है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द करा देने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री पंकज कुमार मिश्र : वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–11 : श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अड़राहा पंचायत में सत्संग भवन मोड़ से मुखिया अरूण यादव के घर होते हुए महादलित पार्वती टोला तक पक्की सड़क का निर्माण करावे।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अड़राहा से मुसहर टोला के नाम से स्वीकृत है । इसकी

निविदा आमंत्रित की जा चुकी है । निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है । तदोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, 2017 में इसका टेन्डर हुआ था और किसी टेक्निकल कारण से कैंसिल हो गया था । इसलिए हम चाहेंगे कि अगर इसका प्राक्कलन फिर तैयार कर लिया गया है, डी0पी0आर0 तैयार करके समर्पित किया गया है तो इसी वित्तीय वर्ष में इसका निष्पादन हो जाय चूंकि वहाँ एक सौ महादलित परिवार रहते हैं ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विद्या सागर केशरी : इसी वित्तीय वर्ष में माननीय मंत्री जी से करवा दिया जाय । यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है । एक बार बोल दिया जाय मंत्री जी को । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–12 : श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0</u>

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ के जगनपुरा, रामकृष्ण नगर तथा भूपतिपुर इलाके में पार्क का निर्माण करावे ।''

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत फुलवारीशरीफ के जगनपुरा, रामकृष्ण नगर तथा भूपतिपुर इलाके में पार्क के निर्माण के संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित स्थल पर पार्क निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर नगर निगम पटना के सशक्त स्थायी समिति एवं निगम परिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा स्वीकृति मिलने के उपरांत 15वीं वित्त आयोग की राशि से पार्क निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस गैर सरकारी संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री गोपाल रविदास : वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-13 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के भागलपुर शहर में अवस्थित सुन्दरवती महिला कॉलेज, मिराजान हाट के तीसरे किलोमीटर में आर0ओ0बी0(भोलेनाथ पुल) का डी0पी0आर0 जो स्वीकृति हेतु योजना विभाग में लंबित है, को स्वीकृति देकर निर्माण कार्य प्रारंभ करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, विषयगत प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग के दिनांक-18.06.2021 को लोक वित्त समिति की बैठक में विचारार्थ रखने हेतु प्राप्त हुआ था । किन्तु पथ निर्माण विभाग में उपलब्ध साधन, बैंक से जो एग्रीमेंट हुआ कि राशि से अधिक राशि का दायित्व सृजित होने के कारण दिनांक- 09.07.2021 को सम्पन्न लोक वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रशासी विभाग को बैंक से फिर राशि की पुनः समीक्षा कर प्रस्ताव भेजने के अनुरोध के साथ विषयगत संचिका प्रशासी विभाग को वापस की जा चुकी है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें।

श्री अजीत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सात साल से इसकी प्रक्रिया चल रही है और कहीं न कहीं कभी रेलवे का एन0ओ0सी0 या अन्य कारण से लम्बित हो जाता है । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि कबतक ये करायेंगे ? ठीक है कि पैसा के लिए आप फिर से प्रस्ताव भेज रहे हैं ? कबतक निर्माण कराने का विचार रखते हैं ताकि जनता को इससे सुविधा मिल सके ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, लम्बे समय तक इनका राज रहा, उस समय इनकी आकांक्षा नहीं थी । अब जब राज चला गया तो इनकी भूख जगी है ।

मैंने कहा, इन्होंने सुना नहीं । बैंक से जो सैंक्शन राशि थी उससे अधिक का प्रस्ताव था । पुनः उसको विचार करने के लिए कहा गया है । इसलिए अभी आप प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव तो वापस लेता हूँ लेकिन इसको शीघ्र करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–14 : श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत R.C.D. प्रमंडल मधेपुरा के अधीन कड़ामा से आलमनगर थाना चौक होते हुए पोस्ट ऑफिस चौक होकर आजाद चौक तक जानेवाली पथ का चौड़ीकरण करावे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कड़ामा–आलमनगर पथ में यातायात घनत्व एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चौड़ीकरण कार्य करने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–15 : श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह विधान सभा क्षेत्र के हसपुरा बाजार में जाम से निजात हेतु हसपुरा गॉव से संसा गॉव तक बाइपास सड़क का निर्माण करावे ।''

टर्न–14/आजाद/30.07.2021

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विषयगत बाईपास की योजना सात निश्चय पार्ट–2 के सुलभ सम्पर्कता घटक के अन्तर्गत विभाग में प्रस्तावित है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री भीम कुमार सिंह : जी, सर ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–16 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी में गुमटी नं0–22 पर रेलवे लाइन के ऊपर पुल का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करें । ''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी में गुमटी नं0–22 समस्तीपुर सरायगंज पटोरी पथ एम0डी0आर0 में अवस्थित है जो चकलाल शाही बाजार से 10 कि0मी0 एवं दूसरे तरफ शाहपुर पटोरी बाजार से 2 कि0मी0 है । ट्राफिक घनत्व को देखते हुए गुमटी नं0–22 पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन प्राप्त की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, वह गुमटी पार करके ही माननीय न्यायालय का कार्यालय है, अनुमंडल है, अस्पताल है और पठन–पाठन का शिक्षण संस्थान है और उस रेलवे लाइन का दोहरीकरण भी हो गया है । खासकर एम्बुलेंस वगैरह को देखते हैं कि आधा–आधा घंटा जाम में फंसी रहती है । इसलिए यह बहुत जरूरी है रेलवे गुमटी पर ब्रीज बनाना ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने तो बताया कि संभाव्यता प्रतिवेदन का डिमांड किया गया है और जब संभाव्यता प्रतिवेदन आयेगा तो उसपर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष : सकारात्मक जवाब है, प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–17 : श्री सुर्यकान्त पासवान, स0वि0स0

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगुसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना करें।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार ने निर्णय लेकर राज्य के सभी प्रमंडलों में एक–एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है और बेगुसराय जिला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन आता है । अभी बेगुसराय में कोई नया

विश्वविद्यालय खोलने का विचार सरकार के यहां प्रक्रियाधीन नहीं है । इसलिए अभी तो माननीय सदस्य इसको वापस ले लें ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगुसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और महान इतिहासकार डॉ0 रामशरण शर्मा की जन्मभूमि है । महोदय, बेगुसराय जिला से प्रत्येक साल लगभग 30 से 40 हजार छात्र-छात्रायें स्नातक पास होते हैं मगर बेगुसराय और आस-पास के कई जिलों में कोई विश्वविद्यालय नहीं है.....

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-18 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0</u>

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गुरारू प्रखण्ड में अवस्थित बंद पड़े चीनी मील की जमीन पर पॉलिटेकनिक कॉलेज का निर्माण करावें । ''

श्री सुमित कमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सात निश्चय योजना कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक जिला में पॉलिटेकनिक संस्थान के स्थापना का निर्णय है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व से ही गया जिला के अंचल घोघरीटाड़ में राजकीय पॉलिटेकनिक, गया की स्थापना की गई है । साथ ही गया जिला अन्तर्गत अंचल टेकारी में राजकीय पॉलिटेकनिक, गया की स्थापना की गई है ।

उक्त दोनों पॉलिटेकनिक संस्थान स्थायी परिसर में संचालित है एवं पठन-पाठन सुचारू रूप से प्रारंभ है ।

अत: गया जिला के अन्य राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थान स्थापित किये जाने की सरकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

श्री विनय कुमार : महोदय, गया जिला बहुत बड़ा जिला है और वहां पर 24 प्रखंड है और वहां गुरारू चीनी मील का जमीन बियाडा को दे दिया गया है, जमीन भी उपलब्ध है । इसलिए हम तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वहां पर भी एक निर्माण करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री विनय कुमार : ठीक है महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–19 : श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना के न्यू बाईपास स्थित मीठापुर से नन्दलाल छपरा होते हुए पहाड़ी संप तक कच्चे नाले के पक्कीकरण कार्य को शीघ्र शुरू करावें । ''

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आर0बी0 कंस्लटेंट के माध्यम से डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है । डी0पी0आर0 तैयार होने पर इसकी स्वीकृति के पश्चात् नाले का निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, 25 वर्षों से ये किसी न किसी रूप में पेंडिंग है । एक समय सीमा केवल निश्चित कर दिया जाता तो अच्छा रहता ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, समय सीमा । यह जल्दी हो जाय, इसी के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–20 : श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा शहर के मुख्य बसस्टैंड का नगर विकास एवं आवास विभाग बस स्टैंड के मानक मापदंड के आधार पर जीर्णोद्धार करावे । ''

अध्यक्ष : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : ट्रांसफर कर दिया गया है परिवहन विभाग में ।

अध्यक्ष : परिवहन विभाग ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यह दरभंगा शहर का मुख्य बसस्टैंड है । फोरलेन पर है और माननीय उप मुख्यमंत्री उसी ओर से जाते हैं और इसमें 3–3, 4–4 फीट गड्ढ़ा है । हालत खराब है, परिवहन विभाग पर मैंने प्रश्न लगाया था, चार दिन पहले ही परिवहन विभाग ने मुझे अपने उत्तर में कहा है और डी0एम0 ने नगर विकास एवं आवास विभाग को यह लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय, बसस्टैंड नगर विकास एवं आवास विभाग बनाता है । इसलिए यहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, ये उधर से ही जाते हैं और 4-4, 5-5 फीट गड्ढ़ा हो गया है और उस बसस्टैंड की नारकीय स्थिति हो गई है। प्रमंडलीय मुख्यालय का बड़ा बसस्टैंड है । इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि ये मेरे गैर सरकारी संकल्प को स्वीकृत करें और विधान सभा से पास करें ।

टर्न-15/ज्योति/30-07-2021

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जो राजस्व एवं भूमि सुधार के अंतर्गत बस स्टैण्ड है उसके लिए सरकार प्रयास करेगी कि इसे नगर विकास विभाग अपने अधीन लेकर इसके उत्क्रमण और उन्नयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी माननीय सदस्य जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री संजय सरावगी : तब सरकार इस संकल्प को मान ले ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : इनके साथ दिक्कत यही है । इनको प्रस्ताव को वापस लेना ही है । आग्रह कर दिए हैं ।

अध्यक्ष : आपने तो स्वीकार कर लिया है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : उत्क्रमण के लिए हमलोग इसको देख लेंगे इनको प्रस्ताव को वापस लेना है ।

अध्यक्ष : ठीक है ये देख लेंगे ।

श्री संजय सरावगी : माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इतना आश्वासन दिया है और ये करेंगे यह भी मुझे उम्मीद है इसलिए मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-21 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0</u>

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत पटनरा रिंग रोड को प्राखण्ड-मनेर के शेरपुर से भाया मनेर एवं बिहटा होते हुए सरमेरा फोर लेन सड़क में जोड़े । ''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना रिंग रोड के निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है । राज्य सरकार के द्वारा पटना

रिंग रोड के दक्षिण भाग के एलाइनमेंट की अनुशंसा के उपरांत दिघवारा से कन्हौली राम नगर खंड को भारत सरकार द्वारा रिंग रोड एन.एच. 131 जी. के रुप में अधिसूचित किया गया है । पटना रिंग रोड के दिघवारा से सैदपुर खंड में गंगा नदी के ऊपर 6 लेन पुल सैदपुर से कन्हौली खंड में 6 लेन सड़क एवं कन्हौली से रामनगर खंड में 6 लेन सड़क परियोजना प्रस्तावित है । इसमें से कन्हौली राम नगर खंड का 6 लेन कार्य प्रगति पर है अन्य दो खंडों के डी.पी.आर. को अंतिम रुप दे दिया गया है । दानापुर, मनेर एवं बिहटा क्षेत्र में घनी आबादी अवस्थित है, इन क्षेत्रों में एलाईनमेंट गुजारने के लिए भूमि की उपलब्धता सीमित है तथा अवस्थित घनी आबादी के बड़े पैमाने पर विस्थापन संभावित है एवं 6 लेन सड़क के लिए आवश्यक तकनीकी मानकों के अनुरुप होने की संभावना नहीं के बराबर है । अनुमोदित पटना रिंग रोड के मार्ग रेखन के परिवर्तन की संभावना नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह पुराना एन.एच. 30 है और घनी आबादी है मैं मानता हूँ। लेकिन अगर वह रिंग रोड से नहीं जोड़ा जाता है तो उसका विकास रुक जायेगा मनेर का, मनेर सुफी संतो की धरती है । गंगा, सोन और सरयुग नदी के तट पर बसा हुआ वह मनेर है और वही एक जगह है जहाँ देश और दुनिया में सभी धर्मों का वहाँ से प्रचार हुआ करता था ।

अध्यक्ष : इसलिए प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : अगर उसका विकास नहीं होता है तो फिर तो अधूरा हो जायेगा बिहार का विकास इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करुंगा कि इस रिंग रोड को मनेर होते हुए बिहटा सरमेरा रोड में मिलाया जाय यह मेरा आग्रह होगा।

अध्यक्ष : ठीक है प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : पहले उनसे बोलवा दीजिये ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पटना रिंग रोड का पूरे एलाइनमेंट की जो चर्चा मैंने की वह पहले से स्वीकृत हो चुका है । माननीय सदस्य ने जिस ओर इशारा किया है भविष्य में किसी अन्य योजना उसको बड़ा करने का प्रयास करेंगे अभी माननीय सदस्य इसको वापस लें ।

अध्यक्ष : चलिए सकारात्मक जवाब है वापस ले लीजिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : चलिए आप कह रहे हैं तो वापस लेते हैं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक–22: श्री महबूब आलम,स0वि0स0

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखण्ड के सुधानी पंचायत में कोटा–कसवा टोली घाट पर पुल का निर्माण करावे । ''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ कोटा गांव अवस्थित है जिसकी संपर्कता शीर्घ पी.एम.जी.एस.वाय. फेज–2 अंतर्गत निर्मित रघुनाथपुर से आदमपुर पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ कसवा टोली बसावट अवस्थित है जिसकी संपर्कता शीर्ष एम.एम.जी.एस.वाय. अंतर्गत निर्मित सालमाड़ी कुड्डम पी.डब्लू.डी. रोड से रशीदपुर भाया रिजवानपुर पथ से प्राप्त है विभाग द्वारा संप्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत है अत: अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री महबूब आलम : महोदय, यह पुल बहुत महत्वपूर्ण है । यह कदवा कटिहार और प्राणपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता को एन.एच. 34 में जाने के लिए और अनुमंडल मुख्यालय तक आने के लिए कोई और दूसराा वैकल्पिक रास्ता नहीं है । या तो उत्तर में 30 कि0मी0 दूर में जाना पड़ेगा, 50 कि0मी0 घूमकर या तो बारसोई होकर घूम के जाना होगा । यह बहुत महत्वपूर्ण पुल महोदय, है और मैं सरकार से अभिस्ताव और काम कराने का निवेदन करता हूँ और महोदय, इसको संज्ञान में लिया जाय ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री महबूब आलम : महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेने की आपने बाध्यता कर दी है क्योंकि प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे तो मैं हार जाऊंगा ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक–23: श्री आबिदुर रहमान,स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमॉक–24: श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सकरी रेलवे स्टेशन के गुमटी नं0–39 पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे । ''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एल.सी. 39 दरभंगा –सकरी यार्ड रेलवे स्टेशन के बीच आर.ओ.बी. प्रस्तावित है पुल निर्माण निगम द्वारा डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है । प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं वापस ले रहा हूं । एक तरह से यह स्वीकृत ही हो गया।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक–26 : श्री राजेश कुमार गुप्ता,स0वि0स0

श्री राजेश कुमार गुप्ता :महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला में खनन एवं भूतत्व विभाग का 84 एकड़ पहाड़ है, जिसपर क्रशर मशीन को रॉ मैटेरियल मिलता है, वर्ष 2010 से पहाड़ खुदाई नहीं होने से क्रशर मशीन बंद है, लाखों मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं, सरकार पहाड़ खुदाई का आदेश देकर क्रशन मशीन चालू करावे । ''

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

उपाध्यक्ष : अभी पेन्डिंग रहेगा। माननीय मंत्री उस सदन में हैं, आयेंगे तो जवाब होगा ।

क्रमॉक–27 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के महाराजगंज टंडवा पथ से कुटुम्बा महुआधाम मोड़ यपथ निर्माण का प्रस्ताव एम0आर0 के तहत है इसकी स्वीकृति अविलम्ब दिलावे । ''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित औरंगाबाद जिला के महाराजगंज टंडवा पथ से कुटुम्बा महुआधाम मोड़ तक पथ जो बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 योजनान्तर्गत टंडवा महाराजगंज काला पहाड़ से कुटुम्बा सीमा महुआधाम पथ के नाम से है के पथ की मरम्मती हेतु प्राक्कलन तैयार

करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । स्वीकृति उपरांत पथ रम्मती की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 16 वीं विधान सभा से यह प्रयासरत हूँ और लगातार सरकार को विभाग को मैं प्रस्ताव भेजता रहा हूँ लेकिन अबतक यह नहीं हुआ और यह साधारण काम है । एम.आर. के तहत है । ऐसा नहीं है कि नया रोड है और इसको एकदम नयी तरह से बनाना है और हमेशा इसमें डी.पी.आर. की बात आती है और क्वेश्चन में भी आती हे इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार या विभागीय मंत्री इसका प्रस्ताव मान लें एवं एक टाईम लाईन दे दें हम दो महीना, चार महीना में करा देंगे । बहुत इम्पोर्टेंट रोड है और बहुत प्रेशर में हूं और जनता का इतना दबाव है इसलिए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक टाईम लाईन बांध दे चूँकि में बहुत असंतोष से कह रहा हूं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो संकल्प है उसके संदर्भ में स्पष्ट उत्तर हमने दिया है और उसके बाद भी माननीय सदस्य असंतुष्ट है तो इसका क्या जवाब हो सकता है ? और कहा है कि 2018 के अनुरक्षण नीति के तहत उसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है तो माननीय सदस्य को विश्वास रखना चाहिए और जवाबदेही के साथ संकल्प लाए हैं तो उनको विश्वास दिलाता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखें कार्रवाई होगी ।

श्री राजेश कुमार : बिल्कुल धैर्य है, आशान्वित है लेकिन डी.पी.आर. में देर हो रहा है, रोड बन नहीं रहा है धरती पर इसलिए..

उपाध्यक्ष : संकल्प वापस लीजिये माननीय सदस्य ।

श्री राजेश कुमार : मैं यह संकल्प वापस लेता हूँ इस उम्मीद से कि अगले बार मरम्मती हो जायेगी।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-16/पुलकित-अभिनीत/30.07.2021

क्रमांक-28 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला में नवीनगर-बारून पथ में नवीनगर रेलवे स्टेशन के आगे रेलवे क्रासिंग पर जनहित में फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नवीनगर रेलवे स्टेशन के आगे रेलवे क्रासिंग का प्रारूप बनाने हेतु प्रस्ताव पर विभाग विचार कर रहा है और अभी इसके घनत्व के विषय को लेकर जानकारी प्राप्त की जा रही है । इसके बाद, यह विषय विचाराधीन है सरकार के पास ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करेंगे कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी दे दूं, क्योंकि यह जो पथ है दोनों एन0टी0पी0सी0 की तरफ जाने वाला रास्ता है । देव हो, अम्बा हो, औरंगाबाद हो वही एक रास्ता है जिससे हम एन0टी0पी0सी0 की ओर जाते हैं तो ज्यादा-से-ज्यादा प्रयास कर के उसको जल्दी से करवाने का कष्ट करें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक- 29 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

डॉ0 रामानुज प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर नगर पंचायत अंतर्गत अंग्रेजी बाजार (कुम्हार टोली) से एन0एच0 19 के बीच मेहुरा नदी पर जनहित में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सोनपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत सोनपुर क्षेत्रांतर्गत अंग्रेजी बाजार (कुम्हार टोली) से एन0एच0 19 के बीच मेहुरा नदी है । प्रस्तावित पुल के स्थल पर नदी की चौड़ाई 50 मीटर एप्रोच के साथ है । प्रस्तावित पुल के स्थल के एक तरफ एन0एच0 19 है जहां 200 मीटर कच्ची पथ है । प्रस्तावित पुल के दूसरी ओर अंग्रेजी

बाजार (कुम्हार टोली) की तरफ भी 50 मीटर कच्ची सड़क है जो पथ निर्माण विभाग के अधीन है । पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0- 1548, दिनांक 25.02.2020 के आलोक में 6 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क का उन्नयन एवं रख-रखाव पथ निर्माण विभाग के द्वारा किया जाना है । वर्णित पथ का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है ।

अतएव, उक्त पथ के हस्तांतरण के उपरांत उक्त विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-30 : श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0</u>

श्री सुधाकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत माँ मुंडेश्वरी धाम जो पर्यटक स्थल है, प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, को आरा से मुंडेश्वरी धाम तक रेलमार्ग बनाने के लिए रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मंत्री, पर्यटन विभाग की तरफ से रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार को इस आशय की अनुशंसा भेज दी जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लिया जाय ।

श्री सुधाकर सिंह : महोदय, यह स्वीकृत हो ही गया है तो वापस लेने की क्या आवश्यकता है । स्वीकृत कर ही दिए हैं ।

उपाध्यक्ष : संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री सुधाकर सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 33 : श्री राम विशुन सिंह, स0वि0स0</u>

श्री राम विशुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखण्ड में ग्राम भटौली एवं ग्राम दावा के बीच छेर नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ बसावट भटौली एवं दूसरी तरफ ग्राम दावा अवस्थित है । भटौली बसावट को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ टी-01 से भटौली पथ जिसकी लम्बाई 3.172 किलोमीटर है से एकल सम्पर्कता प्रदत्त है एवं दावा बसावट को एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत एन0एच0-30, दुलौर मोड़ से सोहन टोला भाया रतनदण्डी जिसकी लम्बाई 5.30 किलोमीटर है, एकल सम्पर्कता प्रदत्त है । अभिस्तावित पुल स्थल भटौली एवं दावा बसावट के बीच में है । भटौली से दावा के बीच कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है संकल्प वापिस लेने की कृपा करें ।

श्री राम विशुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से आग्रह है कि इस पुल के बनने से दस गांव के लोग बिहियां बाजार जायेंगे, इसलिए अनुरोध है कि इस पुल को बनवाया जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं विचाराधीन नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राम विशुन सिंह : वापस तो हम ले ही लिये हैं, लेकिन विचार करना होगा कि पुल से.....

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 34 : श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स0वि0स0</u>

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रादेशिक लोक सेवा आयोगों में लागू Standard evaluation policy के तहत Scaling की व्यवस्था को लागू करे । ''

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 1918 में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, को....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प पढ़िये ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : महोदय, संकल्प पढ़ रहे हैं, Standard evaluation policy लागू करने का आदेश दिया गया था परन्तु वह आदेश रद्दी की टोकरी में चला गया । मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं बैच की परीक्षा कम से कम.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संकल्प जो आप लिखकर दिये हैं, वही पढ़िये । दूसरी चीज आप पढ़ रहे हैं ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : महोदय, वही लिखकर दिया है, वही पढ़ रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : उपाध्यक्ष जी, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में वर्तमान में Scaling की व्यवस्था लागू नहीं है । संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रादेशिक लोक सेवा आयोगों में Scaling की व्यवस्था है अथवा नहीं, इसकी कोई अधिकारिक सूचना विभाग को नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कृपया इस संकल्प को वापस लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संकल्प वापस लीजिये ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : महोदय, वापस लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपका आदेश है तो वापस ले रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद । सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 35 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0</u>

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया अनुमंडल के चकिया में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करावे ।''

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत राज्य के सभी अनुमंडल में एक-एक औद्योगिक संस्थान तथा जिला मुख्यालय में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है । महोदय, उल्लेखनीय है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अंतर्गत कुल सात राज्यकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोतीहारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अरेराज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रक्सौल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिकरहना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पकड़ीदयाल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चकिया और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोतीहारी बनाया जा चुका है । पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया अनुमंडल में नवस्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चकिया, वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोतीहारी के सी0ओ0ई0 भवन में संचालित है । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चकिया के भवन निर्माण हेतु आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पंत्राक- 950, दिनांक 26.09.2016 द्वारा केसरिया अंचल के मौजा लोहरगांवा महमदपुर थाना नं0- 239, खाता नं0- 322, खेसरा नं0- 533 में....

(क्रमशः)

टर्न-17/हेमन्त-धरेन्द्र/30.07.2021

क्रमशः..

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : कुल 3.5 एकड़ गैर मजरूआ आम भूमि के निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तानांतरण की विभागीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है । उक्त भूमि पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकिया के भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या-2247, दिनांक- 19.09.2017 के द्वारा कुल 1606 लाख रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । उक्त भवन का निर्माण चकिया अनुमंडल के केसरिया प्रखंड अंतर्गत लोहरगामा महमूदपुर पंचायत में पूर्ण हो चुका है एवं भवन हस्तानांतरण की प्रक्रिया में है । वर्तमान में उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई अन्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अनुमंडल में एक खुलना है तो चकिया अनुमंडल जबकि है, वहां जमीन भी उपलब्ध है, तो चकिया हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की दूरी पर यह भवन निर्माण कराया जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि किस वजह से 35 किलोमीटर की दूरी तय की गयी, तो मेरा आग्रह है कि चकिया हेडक्वार्टर है अनुमंडल का, चकिया में भी एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था की जाय ताकि 35 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़े ।

उपाध्यक्ष : चूंकि माननीय मंत्री जी ने डिटेल में बताया है इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं इस आशा से कि मंत्री जी चकिया अनुमंडल हेडक्वार्टर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करायेंगे ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी ।

क्रमांक–36: श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के पताही प्रखण्ड अंतर्गत बेलाहीराम पंचायत के बेलाहीराम ग्राम में स्थित क्षति ग्रस्त पुल का निर्माण करावें ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल पताही–यदू–कोदरिया आर0ई0ओ0 पथ से कालूपाकर वाया बेलाहीराम पथ पर अवस्थित है, जो इस वर्ष माह जुलाई वर्ष 2021 में आयी बाढ़ के कारण पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके पुन: निर्माण हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता से फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की गयी है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पुल अभी इस बाढ़ में ढहा है । उस पुल के ढह जाने से दो जिले प्रभावित हो रहे हैं । शिवहर जिला का भी वह रूट है सर, तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उस पुल को जल्दी बनवा दिया जाय ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो और वह पुल शिवहर और मधुबनी दोनों प्रखण्ड को जोड़ता है जो अभी इस साल की बाढ़ में ढहा है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस पुल को जल्दी–से–जल्दी बनवा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : संकल्प वापस लीजिए ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : जी, मैं संकल्प वापस लेता हूं । मंत्री जी से आशा करते हैं कि यह कार्य जल्दी–से–जल्दी हो जाय ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । श्री ललन कुमार जी ।

क्रमांक–37: श्री ललन कुमार, स0वि0स0

श्री ललन कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिले से गुजरने वाली 03415 मालदा टाउन–पटना स्पेशल / 03416 पटना–मालदा टाउन

स्पेशल ट्रेन का ठहराव पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर करने हेतु रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले से गुजरने वाली 03415 मालदा टाउन-पटना स्पेशल / 03416 पटना-मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन का ठहराव पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर करने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक- 4177, दिनांक- 23.07.2021 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे, कोलकाता से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री ललन कुमार : माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव जी ।

<u>क्रमांक-38 : श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0</u>

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिलान्तर्गत धरमपुर से रोस्तमचक पथ के ज्ञानबिगहा के पास सोइया नाला पर पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित नाला की एक तरफ धरमपुर गांव को शकुराबाद धेयजन पथ जो पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है से संपर्कता प्रदत्त है । रोस्तमचक बसावट को टी-05 से रोस्तमचक तक पथ जो पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत निर्मित है से संपर्कता प्रदत्त है । वर्तमान में यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के उपरांत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अंतर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है । ज्ञानबिगहा बसावट को बलदया नदी पर बने उच्चस्तरीय पुल के एप्रोच पथ से एकल संपर्कता प्रदत्त है । प्रश्नाधीन सोइया नाला के दोनों तरफ के बसावटों पर एकल संपर्कता प्रदत्त है । सोइया नाला ग्रामीण कार्य विभाग के पथ के आरेखण में नहीं है । इस नाले के डाउन स्ट्रीम में 5.0 किलो मीटर पर पुल निर्मित है ।

अतएव, इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2016 में वहां पर विद्यालय जाने के क्रम में धरमपुर में करीब 6-7 बच्चे नदी में डूब गये थे और 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी । यह मामला करीब हम समझते हैं कि उसी समय से, हमारे पिता मुंद्रिका सिंह यादव जी के समय से ही विभाग को प्रस्तावित है । हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि वहां पुल बनाना नितांत आवश्यक है । चूंकि, बच्चे को पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दें । चूंकि, हमलोग तो प्रस्ताव देते हैं बनाने के लिए, तब ही तो विभाग में प्रस्ताव विचाराधीन रहेगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के संकल्प के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां पर डाउन स्ट्रीम में 5 किलो मीटर पर पुल अवस्थित है और जो ज्ञानबिगहा बसावट पर बलदया नदी पर बने उच्चस्तरीय पुल के एप्रोच पथ से एकल संपर्कता प्रदत्त है तो मैंने स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य को बताया है । महोदय, वहां पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लीजिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, 5 किलो मीटर की दूरी पर पुल है महोदय, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है । वर्ष 2016 में...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी रकम से पुल नहीं बनना है, बहुत छोटा है, पईन में बनना है । इसलिए सरकार इस पर विचार करे । हम संकल्प वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज आसन से जरूर स्पष्ट कर दिया जाय कि जो माननीय सदस्य जितना जल्दी प्रस्ताव वापस लेंगे, सरकार उतना ही जल्दी विचार करेगी । जितना देर लगायेंगे तो फिर उसमें देरी होगी ।

टर्न-18/संगीता-सुरज/30.07.2021

क्रमांक-39 : श्री महानंद सिंह, स0वि0स0

श्री महानंद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहटा से बारूण तक रेलवे लाइन बिछाने की लंबित परियोजना का कार्यरंभ करने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय से सिफारिश करें ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहटा से बारूण तक रेलवे लाइन बिछाने की लंबित परियोजना का कार्यरंभ करने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक-4175, दिनांक-23.07.2021 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री महानंद सिंह : ठीक है, संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-40 : श्री रामचन्द्र प्रसाद, स0वि0स0

श्री रामचन्द्र प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखण्ड मुख्यालय जाने के लिए अशोक पेपर मील के नजदीक करेह नदी पर बने पुल से इनमाइत ढाला तक पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि हायाघाट से अशोक पेपर मील (3.95 कि0मी0) पथ का IRQP कार्य प्रगति में है । इसके किलोमीटर 2 (अंश) और 3 (अंश) में लगभग 1100 मीटर लंबाई जो करेह नदी पर निर्मित उच्चस्तरीय पुल का पहुंच पथ एवं अकराहा ग्राम का भाग है । यह पथांश Low Land Area से गुजरती है तथा Fair weather पथ के रूप में भी यह उपयोगी है । बरसात के दिनों में लगभग 1100 मीटर लंबाई में जलजमाव रहने के कारण आवागमन प्रभावित होता है । उक्त स्थल पर पथ उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु सम्भाव्यता प्रतिवेदन की मांग की जा रही है । संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, ये हायाघाट प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए यह मात्र एक रास्ता है । इस पर पुल नहीं बनने से 40 किलोमीटर लोग घुमकर जाते हैं प्रखण्ड मुख्यालय और ये आम आवाम लोगों के लिए बहुत परेशानी का विषय है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अशोक पेपर मिल के बगल में जो पुल है उसे इनमाइत ढाला तक पुल का निर्माण करावे ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : बहुत अति आवश्यक...

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो बताया है कि विभाग इस पर विचार कर रहा है और जब इसका प्रतिवेदन आयेगा तो फिर इस पर हम आगे विचार करेंगे ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प वापस ले लें ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : ये वर्षों से पुराना, ये भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि वहां पुल बनना बहुत जरूरी है । मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–41 : श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0</u>

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माण हो रहे गौवंश संरक्षण केन्द्र के तर्ज पर पूर्णिया सहित राज्य के सभी जिलों में गौवंश संरक्षण केन्द्र यथा गौशाला का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के स्थापित 87 गौशालाओं में लाचार गोवंश को संरक्षण आश्रय दिया जाता है एवं उनका संवर्द्धन किया जाता है । उक्त गौशालाओं को मॉडल गौशाला के रूप में विकसित करने हेतु चरणबद्ध रूप से राशि की उपलब्धता के अनुरूप सहायता अनुदान दी जाती है । गत वित्तीय वर्ष में 2020–21 में राज्य स्कीम के तहत 10 चयनित गौशालाओं को 2 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विजय कुमार खेमका : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव गौवंश संरक्षण से संबंधित है, उसके...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दिए हैं ।

श्री विजय कुमार खेमका : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लिया जाय । गौवंश संरक्षण और संवर्द्धन से संबंधित है और गौ हमारी माता है और वह हमारा पालन करती है, यह सब

जानते हैं और सब मानते हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा ऐसी गौशाला, जो धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़ी हुई है उसके लिए व्यवस्था सरकार में की गई है कि धनराशि उसको उपलब्ध करा करके वहां व्यवस्थित की जाय और मैंने इस प्रस्ताव में रखा है कि गौवंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए केन्द्र बने । उस ओर मैंने इस संकल्प की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ 20 लाख की लागत से 52 स्थानों पर इस तरह का संरक्षण केन्द्र बना है, बिहार में भी इस तरह का संरक्षण केन्द्र बने ताकि गौवंश का संरक्षण हो सके और संवर्द्धन हो सके ।

उपाध्यक्ष : संकल्प वापस लीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो सबकी जरूरत का प्रस्ताव है इसलिए इस आशा और विश्वास के साथ कि निश्चितरूपेण सरकार इस विषय पर सोचेगी और इसे लागू करेगी मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-42 : श्री संजीव चौरसिया, स0वि0स0

श्री संजीव चौरसिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना नगर निगम के अंतर्गत आने वाले स्लम बस्ती को विस्थापित करने से पूर्व उन स्लम वासियों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय-2 के अंतर्गत शहरी गरीबों को बहुमंजिला भवन बनाकर पक्का मकान दिलाने की योजना है । इसी योजना के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक भूमि पर अवस्थित स्लम बस्तियों में रह रहे शहरी आवासविहीन परिवारों को भी नीति के प्रावधानों के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि इस गैर-सरकारी संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री संजीव चौरसिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो विषय माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देना चाहते हैं सजाडीह मस्जिद से लेकर अटल पथ से लेकर इतनी सारी झोपड़ियां उजड़ी हैं, उनके बाल-बच्चे बिलखते हैं सड़कों पर अभी तक कोई आबंटन

की प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है तो मेरा आग्रह है कि उनको विस्थापित करने के पूर्व पटना के अंतर्गत लगभग 140 स्लम बस्तियां हैं जो नोटिफॉयड हैं पटना नगर निगम के द्वारा, उजाड़ने के पूर्व उनके विस्थापन की व्यवस्था की जाय तभी वहां से हटाने की बात हो । योजनाओं के लिए संकल्पित है क्योंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड जो-जो कार्ड उनके बनते हैं उनके रहने के लिए आधारभूत संरचना के अंतर्गत सभी उनके पास है पर उनको हटाया जाता है कोई संज्ञान में नहीं दिया जाता है उसकी अगर व्यवस्था करेंगे तो उनके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई आश्वासन मिले उन गरीबों के लिए, उन बस्तियों के लिए तो आग्रह है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और यह भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आवास व्यवस्था की बात उन्होंने घोषणा की है तो उन गरीबों के लिए नई रोशनी की किरण पटना के अंतर्गत आने वाली है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक संख्या-43 : डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, स0वि0स0</u>

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर में डबल डेकर पुल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करावे ।"

इस संबंध में मैं सदन में कहना चाहूंगा कि अपने देश में यह दूसरा डबल डेकर है और इसमें जमीन अधिग्रहण एवं अन्य कारणों से विलंब हो रहा है । इसको देखते हुए इसका निराकरण आवश्यक जान पड़ता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि केंद्रीय सड़क निधि अंतर्गत छपरा शहर में भिखारी ठाकुर चौक से बस स्टैंड (भाया गाँधी, नगरपालिका चौक) के बीच में डबल डेकर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य प्रगति में है । कार्य प्रारंभ की तिथि 07.06.2018 और कार्य पूर्ण करने की तिथि 06.06.2022 है । 1501 पाईल के विरूद्ध अद्यतन 962 पाईल का कार्य हो चुका है, 138 पाईल कैप के विरूद्ध अद्यतन 61 पाईल कैप का कार्य हो चुका है एवं अन्य कार्य प्रगति में है । जैसा माननीय सदस्य ने भी बताया कि कुछ जमीन की उपलब्धता का मामला उच्च न्यायालय में था इस कारण से भी कार्य में थोड़ा विलंब में रहा है पर अब कार्य प्रगति पर है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध करेंगे कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-19/मुकुल-राहुल/30.07.2021

क्रमांक संख्या-44 : श्री जय प्रकाश यादव, स0वि0स0

श्री जय प्रकाश यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के नरपतगंज प्रखण्ड अंतर्गत दरगाहीगंज पंचायत स्थित देवीगंज में कृषि विभाग के खाली जमीन में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करावे ।''

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार की शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना है । अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखण्ड में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं है । तद्नुसार अररिया जिला के नरपतगंज प्रखण्ड के अंतर्गत दरगाहीगंज पंचायत स्थित देवीगंज में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वह अपने अभिस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्री जय प्रकाश यादव : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार केन्द्र सरकार को अपना प्रस्ताव भेजने पर विचार रखती है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विचाराधीन नहीं है, इसलिए आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री जय प्रकाश यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक संख्या-45 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0

श्री अमरजीत कुशवाहा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के अंचल लदनियाँ, पंचायत सिधपा के ग्राम धनजैया वार्ड-3 निवासी श्री रामप्रकाश यादव के घर से श्री सियाशरण यादव के घर तक सड़क के दोनों तरफ सड़क के अतिक्रमित सरकारी जमीन को सिमांकित कराकर अतिक्रमण से मुक्त करावे ।''

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, समाहर्ता, मधुबनी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि लदनियॉ अंचल के सिधपा ग्राम पंचायत के मौजा-धनजैया के वार्ड नं0-03 में श्री रामप्रकाश यादव के घर से श्री सियाराम यादव के घर तक सड़क के अतिक्रमण के सम्बन्ध में जांच कराया गया, जांच के क्रम में पाया गया कि सड़क के दोनों ओर कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं है बल्कि अस्थायी अतिक्रमण के रूप में सड़क के किनारे ग्रामीणों द्वारा मवेशी बांधने का काम किया जाता था । उक्त अस्थायी अतिक्रमण को खाली करा दिया गया है तथा स्थानीय अंचल अधिकारी को सड़क की जमीन का मापी कराकर स्थायी सीमांकन कराने का आदेश दिया गया है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेना का कृपा करेंगे ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : धन्यवाद, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक संख्या-47 : श्री रामप्रवेश राय, स0वि0स0

श्री रामप्रवेश राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत कोइनी बाजार में घट रही सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने हेतु एन0एच0-27 में कोईनी बाजार में अंडर पास का निर्माण कराये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एन0एच0-27 पर जिला गोपालगंज अन्तर्गत कोइनी बाजार के पास अंडरपास का निर्माण अप्रैल, 2019 के पहले ही कर दिया गया है एवं उस अंडरपास पर आवागमन भी जारी है । माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसकी दृष्टि से हम लोगों ने एन0एच0 के द्वारा वहां पर जो परामर्शदाता कमेटी के द्वारा निरीक्षण करवाया था और निरीक्षणोपरांत बताया गया है कि वहां पर एक और अंडरपास बनाना उचित नहीं होगा । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रामप्रवेश राय : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा रिपोर्ट सही आई है, लेकिन मैं जो स्थल दे रहा हूं बाजार में एन0एच0 27 के दोनों तरफ घना बाजार है और चूंकि मार्केट है इसलिए दिनभर लोगों का आना-जाना रहता है । आधा किलोमीटर दूर एक अंडरपास है जो पहले से बना हुआ है जिस समय समड़ का निर्माण कार्य किया जा रहा था उसी समय थोड़ा वह गलत हो गया, थोड़ा और इधर बन जाता तो दूसरे अंडरपास की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आज की तारीख में यह बाजार जो है

घना बाजार है और रोड पर प्रतिदिन लोगों का इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आना जाना रहता है जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं सैकड़ों लोगों की दुर्घटना हो गई वहां गाड़ियों से इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक बार उसको दिखवा लें और चूंकि जनहित में वहां अंडरपास बनाना जरूरी है यहां भी अगर अंडरपास बन जाएगा तो दुर्घटनाएं रूक जाएंगी । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक बार दिखवा लीजिए और सचमुच जनहित में वह आवश्यक है तो उसको करवा दीजिए । केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजना है । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, फिर से एक बार इसको देख लेंगे ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–49, श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0

श्री समीर कुमार महासेठ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रेलवे गुमटी नंबर–10, 11, 12 एवं 13 पर आर0ओ0बी0 बनाए जाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन आर0ओ0बी0 का समपार संख्या–10 मधुबनी–सरसोपाही पथ एम0डी0आर0 के कोतवाली चौक पर अवस्थित है एवं समपार संख्या–13 राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–527 A पथ पर अवस्थित है । इसके अतिरिक्त समपार संख्या–11 एवं समपार संख्या–12 ग्रामीण कार्य विभाग के पथ पर अवस्थित है । समपार संख्या–10 एवं समपार संख्या–13 के संबंध में संभाव्यता प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी जबकि समपार संख्या–11 एवं समपार संख्या–12 पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग से अनुरोध किया जा रहा है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : धन्यवाद के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–50, श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–51, श्री विजय कुमार मण्डल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-52, श्री शमीम अहमद, स0वि0स0

श्री शमीम अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी पिपराकोठी से मोतिहारी बाईपास लखौरा-छौड़ादानो नेपाल बॉर्डर तक नए फोरलेन सड़क निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पीपरा कोठी से मोतिहारी बाईपास (अवधेश चौक) तक कुल 15.30 कि0मी0 पथांश एन0एच0-28ए का अंश है । जहां पर 2 Lane with Paved Shoulder का निर्माण एन0एच0ए0आई0 के द्वारा कराया जा रहा है । अवधेश चौक से छौड़ादानों नेपाल बॉर्डर तक कुल 28.00 कि0मी0 लम्बा एम0डी0आर0 पथ है, जिसमें 2.00 से 24.30 कि0मी0 तक इन्टरमीडिएट लेन (5.50 मी0) है एवं 24.30 से 29.00 कि0मी0 तक सिंगल लेन निर्मित है जो ओ0पी0आर0एम0सी0 में संधारित है । पथ निर्माण विभाग के क्षेत्राधीन एम0डी0आर0 पथांश अवधेश चौक मोतिहारी से लखौरा छौड़ादानों (इण्डो नेपाल बॉर्डर पथ तक पथ) के फोरलेनिंग का कोई प्रस्ताव विचारीधीन नहीं है । ट्रैफिक घनत्व, संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर Double Laning निर्माण के प्रस्ताव पर निर्णय किया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री शमीम अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ यहां से प्रस्ताव अगर चला जाता है, बनना जब बनेगा, लेकिन प्रस्ताव तो यहां से चला जाए ।

उपाध्यक्ष : संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री शमीम अहमद : मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वे खड़े होकर बोल दें, प्रस्ताव भेज दें, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, अभी विभाग के पास ऐसी योजना नहीं है, भविष्य में ऐसी योजना बनेगी तो इस पर विचार करेंगे । अभी अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री शमीम अहमद : प्रस्ताव भेज दीजिए, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-20/यानपति-अंजली/30.07.2021

क्रमांक- 53 : श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0

श्री मिथिलेश कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जल-जमाव के कारण आवागमन में हो रही घोर कठिनाई को दूर करने के लिए इसी वित्तीय वर्ष मे जल निकासी की व्यवस्था करावे ।''

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, नगर निगम सीतामढ़ी क्षेत्रान्तर्गत बरसात के पानी से हुए जल जमाव के कारण कुछ वार्डों की गलियों में आवागमन में कठिनाई हुई थी, उन सभी वार्डों में पंपिंग सेट लगाकर जल जमाव हटा दी गई है, वर्तमान में आवागमन बाधित नहीं है । उल्लेखनीय है कि सुशासन के कार्यक्रम-2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के तहत शहरों के जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज निर्माण कराने की योजना है । तत्काल जल जमाव की समस्या के निदान हेतु समय-समय पर नगर निकाय द्वारा पंप सेट लगाकर जल की निकासी की जाती है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि जवाब के आलोक में अपना यह प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मिथिलेश कुमारः महोदय, अभी वर्तमान में पंप सेट से जल जमाव की, जल निष्कासन की, पूरी व्यवस्था नहीं हो सकी है परंतु जगदम्बा की इस विशिष्ट धरती पर माननीय उपमुख्यमंत्री जी के सात निश्चय के पार्ट-2 के अंदर वाटर स्ट्रॉम योजना का उन्होंने जो वादा किया है इस पर मैं हर्ष व्यक्त करते हुए कि इसी वित्तीय वर्ष में यह योजना जगदम्बा की विशिष्ट धरातल पर उतरेगी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । धन्यवाद ।

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री मो0 आफाक आलम।

क्रमांक- 54 : श्री मो0 आफाक आलम, स0वि0स0

श्री मो0 आफाम आलमः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के बनैली पंचायत के खाना घाट पर कोशी नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ खाना घाट पश्चिमी भाग बसावट अवस्थित है जिसकी संपर्कता शेष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत टी-01 से पकीलपाड़ा पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ खाना घाट पूर्वी भाग बसावट अवस्थित है जिसकी संपर्कता एम0एम0जी0एस0वाई0 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित जेनगंज से सिंघिया पथ से प्राप्त है विभाग द्वारा संप्रति राज्य के सभी बसावटों को 12 मासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है । अत: अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 आफाक आलम: महोदय, यह पुल बना हुआ था, 2017 में ध्वस्त हो गया और दोनों तरफ बसावट है वह जो रिपोर्ट आया है वह एकदम गलत आया है, सरासर गलत है सर । हमको तो लगता है कि टेबल पर बनाकर रिपोर्ट भेज दिया जाता है हमलोग खुद वहां पर रहते हैं और वहां पर दूसरा जगह कोई लिंक नहीं है, दोनों तरफ प्रखंड है और बच्चे की पढ़ाई-लिखाई भी है और दोनों प्रखंड के लोग आवागमन करते हैं और पुल पहले से बना हुआ था और एक तरफ कहते हैं कि बसावट है और दूसरी तरफ बसावट नहीं है, अगर बसावट नहीं रहेगा तो हम चैलेंज देते हैं कि उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, बना हुआ पुल टूटा है 2017 में, और सरकार का फैसला भी है सर कि 2017 में जितना भी पुल ध्वस्त हुआ है सब को बनाया जायेगा । इतना गलत रिपोर्ट दे रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कबूल किया है कि दोनों तरफ बसावट है, कहां इसमें हमने कहा है कि बसावट नहीं है, बसावट दोनों तरफ है, दोनों तरफ जो बसावट है एकल संपर्कता से जुड़ा हुआ है महोदय, इसलिए वहां पर पुल बनाने का कोई विचाराधीन नहीं है, संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष: संकल्प वापस ले लीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री मो0 आफाक आलम: उपाध्यक्ष महोदय, हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि विचार करें उस पर, हमको उम्मीद है कि जरूर बनेगा । हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री अवध विहारी चौधरी ।

क्रमांक- 56 : श्री अवध विहारी चौधरी, स0वि0स0

श्री अवध विहारी चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह देश को आजादी दिलाने में जिन महापुरुषों का त्याग और बलिदान रहा है जैसे- संविधान निर्माता बाबा साहब, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉ0 श्रीकृष्ण सिंह एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर सरीखे एवं अन्य को माध्यमिक शिक्षा के पाठयक्रमों में उनकी जीवनी को सम्मिलित करावे ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2008 के आलोक में राज्य सरकार के विद्यालयों में संचालित पाठ्य पुस्तकों में देश के विभिन्न महापुरुषों यथा संविधान निर्माता बाबा साहब, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी का समावेश है । नई शिक्षा नीति-2020 के आलोक में भविष्य में विकसित होने वाली पाठ्य पुस्तकों में शेष महापुरुषों जैसे डॉ0 श्री कृष्ण सिंह एवं अन्य की जीवनी शामिल करने का प्रस्ताव पाठ्य पुस्तक विकास समूह के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा इसलिए अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये प्रस्ताव वापस लें ।

उपाध्यक्ष: सकारात्मक जवाब है ।

श्री अवध विहारी चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक व्यवस्था चलती आ रही है, प्रस्ताव दिया जाता है और उस पर उसके औचित्य पर जो प्रस्ताव देता है आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता है । मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव दिया है वह प्रस्ताव इसलिए कि देश को आजादी दिलवाने में जो उत्कृष्ट नायक रहे हैं जिन्होंने संघर्ष किया और इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो हुआ उसमें दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है और यहां के आंदोलन में सरीखे जो हमारे उत्कृष्ट नायक रहे हैं उन नायकों को अभी की व्यवस्था, अभी का जो जेनरेशन है वह धीरे-धीरे भूलते जा रहा है इसलिए महोदय, मैं इस प्रस्ताव को लाया हूं कि वह उत्कृष्ट नायक के जीवनी को, स्कूली शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया जाय, जैसे महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब, भीम राव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना मजहरूल हक, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, डॉ0 राम मनोहर लोहिया और बिहार

के श्री कृष्ण बाबू एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर । इन महापुरुषों की आजादी दिलाने में अहम् भूमिका रही है । महोदय...

उपाध्यक्षः सकारात्मक जवाब दिए हैं ।

श्री अवध विहारी चौधरीः महोदय, एक मिनट, मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने अपने भारतवर्ष को आजादी दिलवाने का काम किया । महोदय, 1947 में इस देश के द्वारा...

उपाध्यक्षः गैर-सरकारी संकल्प है ।

श्री अवध विहारी चौधरीः देश के द्वारा जो आजादी ली गई आंदोलन करके इन लोगों के द्वारा इसी के उदाहरण लेकर के वैसे जो आजाद नहीं करीब 100, दुनिया के 100 मुल्क ने आजादी हासिल किया, प्रेरणा देने का काम...

उपाध्यक्षः आपकी बातों पर सरकार...

श्री अवध विहारी चौधरीः इस देश ने किया । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि इन जननायकों की...

उपाध्यक्षः पूरा डिटेल में जवाब दिए हैं माननीय मंत्री जी ने ।

श्री अवध विहारी चौधरीः जीवनी निश्चित माध्यमिक की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित करने की कृपा करें ।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

टर्न-21/सत्येन्द्र/30-7-21

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्रीः महोदय, दो ही बात हमको कहनी है, पहली बात जो भी सुझाव माननीय सदस्य अवध बिहारी बाबू ने दिया है, वह सब आपकी राय से सरकार इक्तेफाक रखती है, दूसरी बात कि आपको तो सरकार की सराहना करनी चाहिए कि आपने अपने संकल्प में पांच महापुरूषों के नाम दिये हैं । आपने अभी बोलने के क्रम में पांच और जोड़ दिये, वह अलग बात है नहीं तो उनके बारे में भी मैं बताता लेकिन..

उपाध्यक्षः पहले मंत्री जी को बोल लेने दीजिये।

श्री अवध बिहार चौधरीः महोदय, मैंने कहा जिन महापुरूषों का बलिदान और त्याग जैसे भीमराव अम्बेदकर और राजेन्द्र बाबू, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, श्रीकृष्ण सिंह, जन नायक कर्पूरी जी जैसे सरीखे मैंने कहा है ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्रीः चौधरी जी, अपनी बात कहकर दूसरे से क्यों बात करने लगें, हमारी बात भी सुन लीजिये।

श्री अवध बिहारी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ । आप पर भरोसा है कि आप पुराने साथ में करने वाले साथी हैं, देशहित का मामला है, भविष्य के जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उनको मार्गदर्शन मिलेगा अपने जीवन के स्तर को भी तय करेंगे इसलिए मुझे भरोसा है कि निश्चित आप हमारे प्रस्ताव को मानेंगे और बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम में उसको शामिल करेंगे।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, हम पुराने हैं तो अवध बिहारी बाबू भी पुराने हैं । आप चौधरी हैं तो हम भी चौधरी ही हैं ।

श्री अवध बिहार चौधरी: हम उत्तर प्रदेश के बोर्डर सिवान का चौधरी हूँ और आप समस्तीपुर सीतामढ़ी के चौधरी हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: आपने उसमें भी समानता देखी कि नहीं कि 'स' से सिवान भी होता और 'स' से समस्तीपुर भी होता है तो इसलिए यह मानकर चलिये महोदय, पांच नाम इन्होंने लिया और सरीखे और सुन लीजिये न, आपने सरीखे जोड़ा तो उसमें से चार हमने बता दिया कि चार पहले से शामिल है, एक जो बचा हुआ है वह सिलेवस कमिटी जो होती है पाठ्यचर्या समिति, उसके सामने देंगे और आपके सरीखे का जवाब हमने श्री बाबू एवं अन्य के बारे में दिया है । हमने भी अन्य कहा है, आपके सरीखे का जवाब हमारे अन्य में सम्मिलित है इसलिए आप इस प्रस्ताव को वापस लीजिये ।

श्री अवध बिहार चौधरी: मैं वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ।

माननीय सदस्यगण, आज के निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है।

<u>क्रमांक:- 57,श्री नीतीश मिश्रा,स0वि0स0</u>

श्री नीतीश मिश्रा: उपाध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, कोशी एवं पूर्णियां प्रमंडल के सत्त एवं समावेशी विकास हेतु मिथिला क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन करे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नीतीश मिश्रा: उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव रहता तो मुझे आज यहां इस संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और मिथिला

में मात्र अगर सिर्फ हम मधुबनी और दरभंगा जिले की बात करें तो 20 विधायकों में से 17 विधायक वहां की जनता ने एन0डी0ए0 को अपना समर्थन देकर, जीता कर के भेजा है । हम सरकार से आग्रह करेंगे कि मिथिला को बाढ़ की विभीषिका से, मिथिला को माईग्रेसन और पलायन से, वहां के लोग आजादी चाहते हैं और एक पौलिसी में पाराडाईनसिफ्ट की आवश्यकता है इसलिए मैंने ये सुझाव सरकार को दिया है कि सरकार इस सुझाव पर विचार करे, सरकार गौर करे और आने वाले समय में बाढ़ ..

उपाध्यक्षः संकल्प वापस लीजिये ।

श्री नीतीश मिश्राः उपाध्यक्ष महोदय, बस तीस सकेंड और। बाढ़ की सुरक्षा और बाढ़ राहत पर हमलोग जितना खर्च करते हैं अगर मिथिला के लिए पौलिसी का निर्माण ठीक ढंग से कराया जायेगा तो हमलोग विकास के पैमाने पर जो आज मिथिला हरेक सूचकांक पर पीछे है वह अन्य जिलों की तुलना में बराबरी पर आयेगा इसलिए मैं पुनः सरकार से आग्रह करूंगा कि मेरे प्रस्ताव पर वे विचार करें, मिथिला के हित में यह प्रस्ताव है ।

उपाध्यक्षः संकल्प को वापस ले लीजिये ।

श्री नीतीश मिश्राः उपाध्यक्ष महोदय, आप भी मिथिला क्षेत्र से ही हैं और योजना विकास मंत्री जी मिथिला से ही हैं । माननीय मंत्री जी कोशी प्रमंडल का भी मैंने जिक्र किया है और उपाध्यक्ष महोदय इसमें तो सीतामढ़ी और शिवहर भी आना चाहिए, बिना उसके तो मिथिला की कल्पना अधूरी है तो मैं माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि मैंने सिर्फ विचार का प्रस्ताव दिया है..

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कोई विचार नहीं है इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री नीतीश मिश्राः पुनः मैं अपनी बातों को दोहराते हुए कि सरकार विचार करेगी और मंत्री महोदय तक मेरी आवाज संभवतः पहुंचेगी और मेरे एक मिथिला पुत्र के नाते दूसरे मिथिला पुत्र के सामने मैं आग्रह कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि इस प्रस्ताव पर वह गौर करेंगे । इसी भरोसे के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांकः- 58, श्री अरूण शंकर प्रसाद,स0वि0स0

श्री अरूण शंकर प्रसादः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क जो बासोपट्टी से भाया मढ़िया-नरार कोठी होते हुए खजौली दतुआर तक जाती है को पथ निर्माण विभाग अधिग्रहण कर निर्माण करावे। ''

श्री नितिन नवीन,मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत है । पथ अधिग्रहण की नयी नीति पत्रांक 1548 (एस) दिनांक 25-02-20 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है । उक्त पथ का पथ निर्माण विभाग के द्वारा अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अरूण शंकर प्रसादः महोदय ,नीति अगर होता तो मैं संकल्प क्यों लाता इसलिए उपाध्यक्ष महोदय इस नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मैंने यह संकल्प लाया है क्योंकि मधुबनी जिले के अन्दर की जो स्थिति है उसमें आर0सी0डी0 पथ आपके विभाग के बचा नहीं है और सारा आर0सी0डी0 पथ वहां एन0एच0 में तब्दील हो चुका है इसलिए आर0सी0डी0 को भी पथ चाहिए बनाने के लिए और ग्रामीण कार्य विभाग के पास बोझा पड़ा हुआ है पथों का, वह मेनटेनेंस भी नहीं कर पा रहा है और यह सड़क जो है महोदय, उसका रेलवे से सम्पर्कता है, बासोपट्टी से खजौली रेलवे स्टेशन तक उसका कनेक्टिविटी है और वहां खजौली जो है वहां रेलवे का सब यार्ड है और वहीं सारा माल अनलोड होता है और वहां से आता है इसलिए ग्रामीण पथ का जो स्टैंडर्ड है वह उसके लायक नहीं बचा हुआ है इसलिए सरकार क्या अपने नीतियों में परिवर्त्तन कर के इस सड़क को आर0सी0डी0 में परिवर्त्तित करके निर्माण कराना चाहती है ?

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः प्रस्ताव वापस लीजिये।

श्री अरूण शंकर प्रसादः माननीय मंत्री का तो कुछ जवाब चाहिए न महोदय। आपका संरक्षण चाहते है महोदय, मंत्री जी तो कुछ बतायेंगे न विभाग के बारे में, मुख्यमयंत्री से कहेंगे न।

श्री नितिन नवीन,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी तो ऐसी कोई नीति नहीं है । माननीय सदस्य ने जिस ओर ईशारा किया है, उस विषय को हम व्यक्तिगत रूप से देख लेंगे लेकिन अभी वह अपने इस विषय को वापस लें ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करते हुए कि कम से कम इस विषय पर मुख्यमंत्री जी से वार्त्ता करेंगे और इसको करावें इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

अध्यक्षः मंत्री जी तो बोले ही कि देख लेंगे । प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः ले लिये सर ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः- 59,श्री लखेंद्र कुमार रौशन,स0वि0स0

श्री लखेंद्र कुमार रौशनः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करतीहै कि वह वैशाली जिलान्तर्गत महुआ अनुमंडल के पातेपुर प्रखंड के मुख्यालय स्थित श्री रामचन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, पातेपुर की उपलब्ध जमीन(लगभग 20 एकड़)पर डिग्री कॉलेज खोले ।''

टर्न-22/मधुप/30.07.2021

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का प्रस्ताव विचार योग्य है । सरकार जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से उक्त विद्यालय के भूमि के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करेगी ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अभी अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, इस विश्वास के साथ ताकि पातेपुर के बच्चे-बच्चियों को समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जाना पड़े, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आश्वासन मिला है, इससे मैं संतुष्ट हूँ और इनपर विश्वास पर मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-60 : श्री रामवृक्ष सदा, स0वि0स0

श्री रामवृक्ष सदा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखण्ड कार्यालय का भवन 2019 में नए सिरे से बना

था, पर एक साल बाद भवन काफी जर्जर हो गया है, उच्च स्तरीय जॉच कराकर प्रखण्ड कार्यालय भवन का मरम्मति करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखण्ड में प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण किया गया है जो वर्ष 2019 में बनकर पूर्ण हुआ है । जिला पदाधिकारी, खगड़िया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भवन जर्जर नहीं है बल्कि कुछ जगहों पर मरम्मति की आवश्यकता है जिसके लिए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निर्देशित किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दोषियों पर कार्रवाई होगी जो सरकार के पैसे का लूट किये हैं ?

अध्यक्ष : यह प्रश्न-उत्तर का समय नहीं है ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है । एक साल बने हुए हुआ है और पूरे बिल्डिंग में बीच से दरार हो गया है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : इसमें साफ है कि गड़बड़ी के लिए दोषियों पर कार्रवाई होगी या नहीं ? मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि मरम्मति की जरूरत है । तो 2019 में बना और 2021 में मरम्मति की जरूरत पड़ गई तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, महोदय । इसमें कहॉ कोई उपाय है ? मेरे ख्याल से कार्रवाई करनी चाहिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, मैं इसकी जॉच करा लूँगा और अगर इसमें लोगों ने गड़बड़ी की है तो उसपर सख्त कार्रवाई भी होगी ।

श्री रामवृक्ष सदा : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-61 : श्री चन्द्रशेखर, स0वि0स0</u>

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मधेपुरा अंतर्गत कार्यकारी एजेंसी समुंद्री कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन (1) भदखोरा से बरियाही तक (2) गम्हरिया से नवटोल तक के सभी कार्य योजनाओं को पूर्ण कराने की व्यवस्था करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित दोनों पथों का कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण संबंधित संवेदक को डेबार कर दिया गया है । भदखोरा बाजार से बरियाही पथ के ससमय कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया था । तत्पश्चात् संबंधित संवेदक के अनुरोध पर इम्पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी द्वारा जून, 2021 तक का समय प्रदान किया गया था । परन्तु विगत महीनों में कोरोना संक्रमण एवं अतिवृष्टि के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका । वर्तमान समय में दोनों ही पथों के निर्माण हेतु निर्माण सामग्रियों का भंडारण कराया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है, यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, यह सुशासन है जहॉ साहबों और सरगनाओं का पौ-बारह है । 2013 अंतिम अवधि था, आज 2021 है, आठ साल हुआ है । दो ही सड़क की मैंने चर्चा की है, इस समुंद्री कंस्ट्रक्शन के अधीन कम से कम चार सड़क 25 कि0मी0 दम तोड़ रहा है, ईंट बेच लिया गया है उसका । प्राक्कलन के इतर उसके ईंट सोलिंग के ईंट बेचकर जो आवाजाही का रास्ता था उसको भी दुर्गम बना दिया गया और अभी तक विभाग लीपापोती कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसा जो समुंद्री कंस्ट्रक्शन है, उसपर कार्रवाई हो और अतिशीघ्र निर्माण हो । 2013 लास्ट डेट था, आठ साल हो गये हैं । अब समझिए जनता किस स्थिति में होगी । इसलिए यह कार्रवाई का विषय है । सुशासन का लाभ लेकर, यहॉ साहबों और सरगनाओं को प्रोटेक्शन किया जाता है, यह ठीक बात नहीं है।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री चन्द्रशेखर : मंत्री जी कुछ कार्रवाई के लिए कहें ।

अध्यक्ष : आप कह दीजिए मंत्री जी को ।

श्री चन्द्रशेखर : आश्वस्त कर दें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने तो माननीय सदस्य ने जो संकल्प दिया है उसके उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि संवेदक पर कार्रवाई भी की गयी है और कुछ विलम्ब हुआ है । पूरी सामग्री इकट्ठा कर ली गयी है, अब सड़क निर्माण में जो बाधा थी, वह खतम हो गई है । सड़क भी बन जायेगी और संवेदक पर कार्रवाई भी होगी ।

श्री चन्द्रशेखर : कबतक बन जायेगी महोदय ?

अध्यक्ष : अभी क्वेश्चन आवर है ?

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, कबतक बन जायेगी ? यह कार्रवाई का विषय भी है । कबतक बन जायेगी सड़क ? आठ साल हो गया है ।

अध्यक्ष : आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, हमने आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में दिया । ऐसा सुशासन नहीं हो । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ इस शर्त्त के साथ कि सरकार जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-62 : श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत बोधगया नगर परिषद के अंतर्गत मोचारिम मोड़ से पचहटी सुजाता पुल तक निरंजना नदी के पश्चिमी छोर पर नए सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस गैर सरकारी संकल्प को पथ निर्माण विभाग में भेजा गया है लेकिन विस्तार से माननीय सदस्य को जानकारी दे देते हैं कि बोधगया क्षेत्रान्तर्गत पर्यटन की महत्ता को देखते हुए यातायात सुगम बनाने हेतु मोचारिम गॉव से राजापुर मोड़ सुजाता बाइपास तक निरंजना नदी के लेफ्ट बैंक में रिवर फ्रंट रोड बनाये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी, गया ने प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना और पथ निर्माण विभाग को एक बड़ा डी0पी0आर0 बनाकर भेजा है और यह काफी गया के पर्यटन के दृष्टि से और बहुत ही महत्वपूर्ण पथ साबित होने जा रहा है । इसकी गंभीरता को देखते हुए पथ निर्माण विभाग को भेजा गया है ताकि जिससे अग्रेतर कार्रवाई की जा सके ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री कुमार सर्वजीत : प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–63 : ई0 शशि भूषण सिंह, स0वि0स0

ई0 शशिभूषण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड रामगढ़वा के पंचायत सिंगासनी में नासी (जलधारा) में R.C.C. पुल का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित सिंगासनी गॉव को पी0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित पथ से एवं दूसरी तरफ अवस्थित त्रिवेदी गॉव को एम0एन0पी0 योजना अन्तर्गत निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखण पर नहीं है । अभिस्तावित पुल स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेंगे ?

ई0 शशिभूषण सिंह : सर, वहॉ पुल बनाना बहुत जरूरी है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

ई0 शशिभूषण सिंह : ले रहे हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–64 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर के रेलवे कारखाना में कार्यरत डीजल शेड, मेमू निर्माण, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग के कार्य को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

टर्न–23/आजाद/30.07.2021

श्री सैयद शहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जमालपुर का रेल कारखाना जो स्थापना की गई थी, भारतीय रेल के लिए यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना कारखाना था । इस कारखाना में उच्च क्षमतायुक्त विद्युतीय लिफ्टींग जैक टिकट छापने एवं टिकट गिनती

करने वाली मशीनों का निर्माण होता था । लेकिन परिस्थिति बदली उसके बाद इसमें अतिरिक्त इंजन रेल डिब्बा, डिजल, इलेक्ट्रीक और बी0डी0क्रेन की मरम्मती का कारखाना किया गया ।

वर्तमान में जमालपुर रेल का सवारी एवं माल डिब्बों की व्हील सेटों एवं रेल पथ फिचरों का निर्माण किया जा रहा है । साथ ही विभिन्न प्रकार के वैगनों का, क्रेनों का और टावरकारों का इंजन की मरम्मती का कार्य चल रहा है ।

हमने जो रेल मंत्रालय से सूचना प्राप्त की है, उसके अनुसार इसका स्थानान्तरण का कोई इरादा नहीं है । इसके अनुसार रेल कारखाना स्थानान्तरण होने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है बल्कि जब से यह कम्पनी बनी, अभी इस साल रेकॉर्ड स्तर पर जून, 2021 में वर्कशॉप में 570 वैगन का पी0ओ0 रिपेयर किया गया, यह एक नया कीर्तिमान है ।

अध्यक्ष महोदय, अब डबल ईंजन की सरकार है, अब कारखाना बंद होने का दौर नहीं है, कारखाना शुरू होने का दौर शुरू हो गया है ।

अध्यक्ष : अब सकारात्मक जवाब है, अब वापस ले लीजिए । आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात सुन ली जाय ।

अध्यक्ष : कितना सकारात्मक जवाब है ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ वापस नहीं जा रहा है तो कल 29.07.2021 की चिट्ठी है प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रीक इंजीनियर, साऊथ इस्टर्न रेलवे, गार्डेनरीच, कोलकाता .....

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि बंद होने का अब समय नहीं है, शुरू होने का है । प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री अजय कुमार सिंह : यहां से लिलुआ चला गया है, साहेबगंज चला गया है । यह तो सिर्फ सिफारिश करने की बात है ।

अध्यक्ष : अजय बाबू, प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, प्रस्ताव वापस कैसे लिया जाय ?

अध्यक्ष : इतना सकारात्मक जवाब पर लीजियेगा ।

श्री अजय कुमार सिंह : सर, सकारात्मक जवाब तो हुआ नहीं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी तो कहे कि बंद नहीं हो रहा है, शुरू होने वाला है । सदन की सहमति से आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अजय कुमार सिंह : सर, ये जो मैंने सवाल उठाया है, यह चला गया है सर ....

अध्यक्ष : हां या ना में ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, हमलोग इसके लिए एक डेलीगेशन लेकर के जी0एम0 से मिले हैं, वह चला गया है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से आप प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : हुजूर, आपके हुक्म से ले लेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-65 : श्री मोहम्मद कामरान, स0वि0स0

श्री मोहम्मद कामरान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिलान्तर्गत रोड से कौआकोल के बीच में पॉवर ग्रीड का निर्माण करावे । ''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, नवादा जिलान्तर्गत दो ग्रीड नवादा और वारसलीगंज और एक ग्रीड उपकेन्द्र नरहट से नवादा जिले की विद्युत आपूर्ति की जा रही है एवं वर्तमान में रोड से कौआकोल के बीच में कोई नया ग्रीड उपकेन्द्र निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस लें।

श्री मोहम्मद कामरान : महोदय, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है, मैं तुरंत वापस लूंगा ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री मोहम्मद कामरान : महोदय, सिर्फ एक बात बोलते हुए हमारा जो 55-60 कि0मी0 का एरिया है, इसमें एक पावर ग्रीड की जरूरत है । आप अपने पदाधिकारियों से रिपोर्ट मंगवा लें, उसके बाद विचार करें ।

मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ । बहुत,बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-66 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड पंचदेवरी में महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थापित करावे । ''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वर्तमान में प्रत्येक अनुमंडल में एक डिग्री महाविद्यालय खोलने का सरकार का निर्णय है । फिलहाल प्रखण्ड में महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव या ऐसी कोई नीति सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इसलिए माननीय सदस्य अभी वापस ले लें, जब उपयुक्त समय आयेगा तब उसपर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : वापस तो ले ही लेंगे सर ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-26 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0</u>

अध्यक्ष : खान एवं भूतत्व विभाग । माननीय सदस्य का प्रस्ताव पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री।

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन भंडारण निवारण नियमावली, 2021 के नियम-39(4) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के पट्टा क्षेत्र के बाहर किसी स्टॉन क्रशर लगाने, प्रतिष्ठापित करने या प्रचालित करने का अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

वर्तमान में रोहतास जिलान्तर्गत कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है । रोहतास जिलान्तर्गत मौजा गिजवाही गायघाट क्षेत्र में पत्थर भूखंडों के निलामी हेतु प्रस्तावित पत्थर भूखंडों के बीच प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के पत्रांक-383 दिनांक 27.05.2020 से गठित समिति के द्वारा की गई है । समिति द्वारा प्रस्तावित भूखंडों के निलामी से वन विभाग के संरक्षण धार्मिक स्थल सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान की बात प्रतिवेदित की गई है । साथ ही समिति द्वारा वन भूमि में मौजूद पत्थर भूखंडों के समतुल्य वन विभाग का अन्यत्र जमीन उपलब्ध कराने के पश्चात् वन भूमि में बंदोबस्ती का सुझाव दिया गया है । समिति के अनुशंसा के आलोक में वन भूमि के बदले अन्य सरकारी भूमि वन प्रायोजन हेतु देने का प्रयास किया जा रहा है ।

उपर्युक्त के आलोक में जिले में क्रशर को पुनः चालू कराना वर्तमान में संभव नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य महोदय से मेरा आग्रह है कि संकल्प को वापस लें।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल 2020 में वहां 84 एकड़ जो माईस का पहाड़ है, दो बार टेंडर निकला और टेंडर निकलने के बाद पता नहीं किसके आदेश से फिर उसको रद्द कर दिया गया । बार-बार वहां टेंडर के लिए निकलता है और फिर उसको रद्द कर दिया जाता है ।

महोदय, उत्तर प्रदेश से पत्थर आता है । यही बिहार में औरंगाबाद में, गया में माईस चल रहा है, क्रशर मशीन चल रहा है । लेकिन रोहतास जिला का क्रशर

उद्योग बंद कर दिया गया है । दो-चार हजार नहीं इससे लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : इसपर हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसपर एक बार फिर से विचार करें ।

अध्यक्ष : ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : ठीक है सर, प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

अब गैर-सरकारी संकल्प समाप्त हुआ ।

टर्न-24/ज्योति/30-07-2021

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

''वक्त सबको मिलता है, जिंदगी बदलने के लिए,
पर जिंदगी कभी दुबारा नहीं मिलती है, वक्त बदलने के लिए''

सप्तदश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र दिनांक 26 जुलाई, 2021 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 30 जुलाई, 2021 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-05 (पांच) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 26 जुलाई, 2021 को सप्तदश बिहार विधान सभा के लोक जनशक्ति पार्टी के एक मात्र सदस्य श्री राजकुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-144 (मटिहानी) के भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन जनता दल (यूनाईटेड) विधायक दल में विलय की मान्यता दिनांक 06 अप्रील, 2021 से प्रदान किये जाने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया । प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 13 (तेरह) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक

व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल–33 (तैंतीस) जननायकों एवं कोरोना महामारी से राज्य तथा देश के कई लोगों के साथ–साथ दूसरों की जिन्दगी बचाने वाले बिहार के लगभग 115 (एक सौ पन्द्रह) चिकित्सकों एवं अनेकों कोरोना योद्धा के असमय काल कवलित हो जाने पर उनके प्रति शोक–प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 27 जुलाई, 2021 को सदन में पूर्व घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर आसन द्वारा विस्तार से संदेश दिया गया और और यह अपेक्षा की गयी कि इस ऐतिहासिक सदन में इस तरह की घटना की पुनरावृति कभी नहीं हो । साथ ही आसन द्वारा यह भी संदेश दिया गया कि हम सब संकल्प लें कि हम सभी बेहतर आचरण करेंगे कि आगे भविष्य में किसी और कृत्य से लज्जित न होना पड़े । इस विषय पर दिनांक 29 जुलाई, 2021 को सदन में सभी दलों के नेतागण द्वारा अपने विचार व्यक्त किए ।

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को आसन द्वारा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सभी सदस्यों से अपनी प्राथमिकता एवं सामाजिक जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाने तथा पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया और साथ ही नाग पंचमी के शुभ अवसर पर शुभकामना दी गई ।

दिनांक 29 जुलाई, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018–19 का राजस्व प्रक्षेत्र एवं सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, कि प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सदन पटल पर रखी गयी एवं उसी दिन वित्तीय वर्ष 2021–22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021.
2) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021.
3) बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021.
4) बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021.
5) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021.
6) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021.
7) बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021.
8) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021.

इस सत्र में कुल-822 प्रश्न प्राप्त हुए । इन 822 प्रश्नों में कुल-18 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 16 के उत्तर प्राप्त हुए, 608 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 566 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 153 प्रश्न अतारांकित हुए, जिनमें 33 के उत्तर प्राप्त हुए ।

इस सत्र में कुल-103 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 89 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 06 अमान्य हुए। माननीय सदस्यगण, आज आपने जो इतिहास रचा कि 155 तारांकित प्रश्नों का 155 का जवाब इस सदन पटल पर आया । इस सत्र में कुल-122 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 121 स्वीकृत हुए एवं 01 अस्वीकृत हुए। कुल-65 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 61 स्वीकृत एवं 04 अस्वीकृत हुई ।

इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के समिति के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा, बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि जनता के बहुमूल्य आशीष से हमें इस मंदिर का सेवक बनने का मौका मिला है । जनता की पैनी निगाहें हमारे कार्यों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्यांकन करती हैं, इसलिए हमें अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वह्न करते हुए जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना होगा । लोकतंत्र में सार्वजनिक एवं सार्थक विमर्श से ही जनता का भला होता है । आप सबों ने आपसी सहमति से सत्र के सुचारू संचालन के लिए जो सकारात्मक वातावरण तैयार किया एवं

जिस तरह सहयोग किया उससे जनहित के कई मुद्दों पर सरकार और भी सजग हो सकी । मैं विशेष रूप से आप सबों को इसके लिए साधुवाद देता हूं । सदन में आप सबों ने जिस निष्ठा, तत्परता, लगन, जागरूकता और संवेदनशीलता से अपने दायित्वों का निर्वह्न किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ के माननीय सदस्य बिहार विधान सभा के आगामी सत्रों में भी अपना सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी प्रदान कर बिहार के जनमानस के कल्याण एवं हित के लिए काम करते रहेंगे और बिहार के विकास की गति को तीव्रता प्रदान करेंगे। हमसब कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर सतर्क और सावधान रहकर कोरोना प्रोटोकोल का पालन करते हुए लोगों को इससे बचाव के लिए अधिक से अधिक टीकाकरण हेतु प्रेरित करें । आप सभी विधायकगण से मेरा आग्रह है कि अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना फ्रंट लाईन वर्करों को भी आप उत्साहित और प्रेरित करते रहेंगे ।

''साथ रहते यूं ही, वक्त गुजर जायेगा,
दूर होने के बाद, कौन किसे याद आयेगा,
जी लो ये पल, जब हम साथ हैं,
कल क्या पता, वक्त हमें कहां ले जायेगा ।''

ईश्वर की कृपा से यदि माहौल अनुकूल रहा, तब शताब्दी वर्ष के तय कार्यक्रम का प्रारंभ हम सब लोग मिल कर करेंगे, जिसमें सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक योद्धा और बुद्धिजीवी भाग लेंगे तथा नये राष्ट्र के संकल्प को साकार करेंगे ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वह्न किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

और अंत में माननीय सदस्यगण, आप सबों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....